The Constitution (Amendment) Bill, 2002 (To Amend Article 3)

डा. कुमकुम राय(बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

डा॰ कुमकुम राय: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI):There are three Bills against the name of Shri Rumandla Ramachandraiah. He is not here.

The Prevention of Ragging in Colleges and Institutions Bill, 2002

SHRI SANTOSH BAGRODIA (RAJASTHAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of ragging in colleges and institutions and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I introduce the Bill.

The Cultural Workers'Welfare Fund Bill, 2002

SHRI KARTAR SINGH DUGGARL (NOMINATED): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a welfare fund for the benefit of cultural workers and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Sir, I introduce the Bill.

The Dom stic Violence (Prevention) Bill, 2001—*(Contd.)*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shri K.B. Krishna Murthy is absent.

Now, we will continue with the discussion on the Domestic Violence (Prevention) Bill, 2001.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार):कोई परेशानी में हो सकता है। ...(**व्यवधान**)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttaranchal): Sir, the mover of the motion, Smt. Sarla Maheshwari, is not present. Is it not necessary for the mover of the motion to be present over here to continue the discussion?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): It is not compulsory for the mover of the motion to be present over here to continue the discussion.

श्रीमती सरोज दुबे: वह बहुत परेशानी में थी इसलिए चली गई। हम लोगों को बताकर गई है।...(**व्यवधान**)...

उपसभापति(श्री सुरेश पचौरी): अपेक्षा यह की जाती है मूवर उपस्थित रहे लेकिन यह आवश्यक नहीं है। लेकिन खत्म होता है तो उत्तर के समय ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरोज दुबे: यह महिलाओं से संबंधित बिल है इसलिए मान्यवर ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: मुझे तो सबसे ज्यादा हमदर्दी है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरोज दुबेः हो सकता है किसी को बचाने गई हो।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I simply wanted a ruling for my information.

The Domestic Violence (Prevention) Bill, 2001— *(Contd.)*

श्रीमती सरोज दुबे:महोदय, पिछले सत्र में घरेलू हिंसा पर बोलते हुए, मैं यह बता रही थी कि महिला को अन्नपूर्णा कहा जाता है, वह खाना बनाती है और सबको स्वादिष्ट भोजन देती है। पर अन्नपुर्णा का नसीब देखिये कि वह सब पुरुष सदस्यों को भरपेट खिला देती है और उसके बाद जो कुछ भी कढ़ाई में बचता है और चोकर की जो रोटी होती है वह बाद में थोड़ा बहुत खाकर पेट भरती है। केवल पत्नी ही नहीं, चाहे वह मां हो, चाहे वह बहन हो, चाहे घर की कोई भी महिला हो, वह बाद में ही खाती है, और उसको भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। वह तो केवल इसमें ही संतुष्ट रहती है कि उसके घर के पुरुष सदस्यों ने उसके बनाये हुए खाने को सराहा है और पेट भर भरके खाया है। क्योंकि अगर वह खाना खराब बनाती है तो उसको जलते चूल्हें कि लकड़ी से मारा जाता है या फिर उसके बाल खींचकर उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि

आज उसी महिला को हम डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ग़ृहस्थ जीवन में कदम-कदम पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कोई न कोई उनके उतपीड़न का बहाना ढुंढ़ लिया जाता है। रसोई बनाना महिलाओं के हिस्से में लिख दिया गया है पूरे हिन्दुस्तान में क्या विश्व में आप देख लें, खानसामा पुरुष होता है, हलवाई पुरुष होता है, कुक पुरुष होता है, और महाराज पुरुष ही होता है। लेकिन घर में घर का खाना महिला ही बनाएगी, चाहे वह बीमार हो, चाहे वह स्वस्थ हो। खाना उसी को बनाना है, स्वादिष्ट भोजन बनाना है। अगर रसोई में कुछ बच जाए तो भरपेट खा लेना है अगर नहीं बचा है तो बचा-खुचा खाकर उसको सो जाना है। हमारी लड़ाई जो महिलाओं के हक की लड़ाई है, उसी कढ़ाई से, उसी रोटी बनाने वाली थाली वहीं से शुरु होती है। कि हमें कम से कम बराबर बैठकर भरपेट खाने का हक मिले। हमारी लड़ाई वहीं से शुरु होती है। एक तरफ तो महिलाएं हवाई जहाज चला रही हैं,बड़े-बड़े पर्दों पर हैं लेकिन वास्तविक्तायह है कि 80 प्रतिशत महिलाएं आज भी बचा-खुचा भोजन करके अपना पेट भरती हैं। महोदय लड़की का, महिला का कोई अपना स्थायी घऱ नहीं है। पैदा होते ही पराया-धन कहकर शादी हुई पति के घर में तमाम दहेज लेकर गई, जिस दिन पति महोदय की भृकुटी टेढी हो गई, रात बे रात कभी भी वह मारकर निकाल दी जाती है, खाली हाथ भेज दी जाती है। यह अत्याचार हम लोगों के साथ हो रहा है और उसके साथ हो रहा है औऱ उसके लिए जो यह हिंसा से बचाने के लिए विधेयक लाया गया है, जो सरकारी विधेयक आया है मैं रीता जी से कहना चाहूंगी कि वह पर्याप्त नहीं है। प्रस्तावित विधेयक महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने में एक परसेंट भी राहत नहीं दे सकता है। क्योंकि घरेलु हिंसा के मूल कारण है उन्हें सम्पत्ति में अधिकार न देना, दूसरा कारण दहेज प्रथा। इस कारण भी वह दोयम दर्जे की नागरिक है। इसको इतना गुलाम बना दिया गाय है कि न उसका कोई व्यक्तित्व है, न उसका अपना कोई लक्ष्य है। समाज द्वारा निर्धारित नियम के खिलाफ आवाज उठाते ही उसको कलंकनी, कुल्टा औऱ न जाने किन-किन विशेषणों से सुशोभित कर दिया जाता है। अपनी स्थिति के संबंध में प्रश्न करना नरक में जाने के इंतजाम के बराबर माना जाता है। इन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक बिंदुओं ने नारी को इतना जकड़ रखा है कि वह एक सफल दासी के रुप में ढलने लगी है। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। किसी भी कानुन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कानून के पीछे मूल उद्देश्य क्या है लेकिन इस विधेयक में तो मूल उद्देश्य का ही पता नहीं लगा पा रहा है। इतने छिद्र छोड़ दिए गए हैं कि महिला का उत्पीडन करने वाला व्यक्ति इतने रास्ते तलाश ले जिसमें उसे बचत की बचत हो। महिलाओं पर जो हिंसा होती है उसमें चालीस प्रतिशत महिलाओं का दिमागी ढ़ांचा इस प्रकार का तैयार कर दिया गया है। घरेलू हिंसा के बारे में जो सर्वेक्षण हुआ उसमें चालीस प्रतिशत महिलाओं की राय यह है कि अगर उनकी पिटाई होती है तो गलती उन्हीं की है। इसी प्रकार छत्तीस प्रतिशत महिलाओं का सोचना है कि घरेलु हिंसा के कारण ठिक से खाना ना बनाना या फिर सास-श्वसुर की ठीक से सेवा न करना है। इन दो कारणों पर उनके पति और घऱ के किसी भी सदस्य को उनका उत्पीडन करने का अधिकार है। ये तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान

संस्थान द्वारा जुटाए गए हैं। ये राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से सामने आए हैं। इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत के पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं घरेलू हिंसा को चुपचाप सहन करती हैं। वे इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान चुकी है और इसे महज जायज भी ठहराती हैं। हम जिस मानसिक जकड़न में हैं उससे हमें निकलना होगा। केवल एक विधेयक लाकर, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करके महिलाओं से यह कहना कि हम आपको डोमेस्टिक वॉयलेंस से सुरक्षा दे रहे हैं, काफी नहीं है। इसी प्रकार छह राज्यों में जो सर्वेक्षण कराये गए उस अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि तकरीबन चालीस प्रतिशत महिलाएं अक्सर अपने पत्तियों से पिटती है और बुरी तरह से पिटती है भारत के ग्रामीण इलाकों में 49 प्रतिशत महिलाएं मार खाती हैं। शहर में भी पैतालीस प्रतिशत महिलाएं मार खाने के लिए विवश हैं। समाज के निचले वर्ग झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं हर दिन मार खाती हैं। और उन्हें मार कर घर से निकाल दिया जाता है। अन्य जगहों पर रहने वाली महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। मैं यह इसलिए बता रही हूं कि जहां महिलाएं इतनी दयनीय दशा में हैं वहां यह आधा-अधूरा कानून कुछ नहीं कर सकता है। निम्हान्स स्स्था द्वारा आयोजित एक कंवेन्शन में डाक्टर ने बताया कि देश भर के मनोरोग वार्डों में जो महिलाएं भर्ती होती हैं। उनमें से साठ प्रतिशत घरेलु हिंसा की शिकार होती है। घरेलू हिंसा से उन्हें मनोरोग हो जाता है और वे निम्हान्स नें एडमिट होने के लिए मजबूर होती जाती है महिला उत्पीडन अमेरिका में भी कम नहीं है। सिर्फ हमारे यहां ही ऐसा नहीं है। वे भी बाहरी कारणों से अस्पताल में भर्ती नहीं होती है बल्कि घरेलु हिंसा के कारण ज्यादातर महिलाएं भर्ती होती हैं। इसिलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकारी विधेयक को उपयोगी बनाने के लिए उस पर फिर से विचार करने की जरुरत है। इसलिए सरला माहेश्वरी जी इस प्रकार का बिल लाई हैं। आप जो बिल लाने वाले हैं उसमें जो कुछ भी हमारे दिल में है उसे शामिल कीजिए। घरेलु हिंसा विधेयक में औरत पर होने वाले सभी प्रकार के अत्याचार उसमें शामिल करने चाहिए। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या समाजिक हो , सभी प्रकार के अत्याचार उसमें शामिल करने चाहिए लेकिन सरकारी विधेयक में तो डोमेस्टिक वॉयलेंस की व्याख्या जजों पर छोड़ दी गई है। यह जज की मर्जी पर निर्भर करता है कि उस हिंसा डोमेस्टिक वॉयलेंस माने या न माने। सरकारी विधेयक की धारा चार में यह भी कह दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी या दूसरी की संपत्ति की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए अगर हिंसा का सहारा लेता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कि जा सकती है। यह पुरुषों के लिए बहुत आसान है। किसी भी मामले में कह देगा कि हमारी संपत्ति को हड़पने की साजिश की जा रही थी। वह महिला को डोमेस्टिक वॉयलेंस का शिकार बना सकता है। प्रस्तावित सरकारी विधेयक आप लेकर आ रही हैं तब उसमें महिलाओं की बचत की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। इसमें दूसरी बात है प्रोटेशन आफिसर की नियुक्ति। अदालत और पीडित महिला के बीच प्रोटेक्शन की आफिसर की अंधाधुंध नियुक्ति। यह प्रोटेक्शन आफिसर जो पहले पूर्वाग्रही होता है इसको अंधाधुंध अधिकार दे दिये हैं। उनके कर्तव्य इतने बना दिए गए हैं...(**समय की घंटी**)

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी)ः थोड़ा ब्रीफ करिए।

श्रीमती सरोज दुबे: अच्छा।

उनको इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि ये इनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं इसलिए मै आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि प्रोक्टेक्शन आफिसर और पीड़ित महिलाओं के बीच में जो हमारे तमाम प्रतिष्ठित महिला संगठन है तमाम स्वयंसेवी संगठन है इनको भी कानूनी दायरे में लाया जाए ताकि कभी घरेलू हिंसा की शिकार महिला की शिकायत आए तो प्रोक्टेक्शन आफिसर के साथ-साथ महिला संगठनों को भी उसमें अपनी भूमिका अदा करने का मौका दिया जाए। हिंसा की शिकार महिलाओं को अविलम्ब राहत देने के लिए, अविलम्ब सुरक्षा प्राप्त कराने के लिए एक सेल बनाया जाए। कोई भी इमरजेंसी होने पर जैसे 100 नम्बर को फोन किया जाए तो तुरंत राहत मिलती है उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी अलग से एक सहायता सेल बनाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं पर जब भी कोई हमला हो घर से निकाल दिया जाता है तो उनको राहत मिले इसको भी इस दायरे में लाना चाहिए कि अगर कोई डोमेस्टीक वॉयलेंस होता है तो महिलाएं घर से बाहर ना जाएं, रात बे रात असुरक्षित हों। घरेलु हिंसा के बाद भी उनको उसी घर में रहने का अधिकार देने का प्रावधान बनाया जाए। जब उस पर मुकदमा चलता है, वह कोर्ट में जाती है तो जगह-जगह शार्ट स्टे होम बनाए जान चाहिए। लीगल अवेयरनेस के लिए इनको फ्री लीगल एड देनी चाहिए। प्रोक्टेशन आफिसर यह काम नहीं कर सकेगा। वह तो दबाव डालेगा और उस पीडित महिला को तुरंत वापस घर भेज देगा।

इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप एक बार पुनः सरकारी विधेयक पर विचार करें और सरला माहेश्वरी के विधेयक पर जो सुझाव माननीय संसद सदस्यों ने बताए हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। एक बार पुनःविचार करके एक ऐसा व्यापक विधेयक लाया जाए जिससे इस पितृसत्तात्मक समाज की जो एक मजबूत व्यवस्था है उसमें सेंध लग सके। ये जो तमाम छिद्र उसमें छोड़ दिए गए हैं उनको बंद किया जाना चाहिए ताकि अत्याचार करने वाला, वॉयलेंस करने वाला जो पुरुष है वह इससे बचकर न निकल सके।

अभी हमारे पंचायत के चुनाव हुए थे। लगभग दस लाख महिलाएं जीतीं। वे किस तरह से काम कर रही हैं आप सभी जानते हैं। उनके पुरुष उन के पदों पर कब्जा किए हुए हैं। विजयी महिला घर के अंदर हैं। महिलाएं एक रात की नेता बनीं और दूसरे दिन गृहिणीऔर दासी बन गयीं। उनके पुरुष पति बैठकर राजनीति कर रहे हैं। तभी प्रधान मंत्री जी ने एक कविता में कहा कि हर पंचायत में द्रोपदी का अपमान हो रहा है। प्रधान मंत्री जी भी इस बात को समझ रहे हैं। हर व्यक्ति

इस बात को समझ रहा है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद यह घरेलू हिंसा का शब्द प्रचलन में आ गया तो फटाफट एक झुनझुना हमारे हांथ मे पकड़ा दिया गाया। इसका श्रेय लूटने की कोशिश हो रही है।

मैं माननीय मंत्री जो को वार्न करना चाहती हूं कि यह विधेयक पुरुष प्रधान समाज को घरेलू हिंसा करने का वैधानिक अधिकार देने वाला है क्योंकि दो बहाने ऐसे दे दिए गए हैं कि वह हर प्रकार से घरेलू हिंसा करार देगा और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। आप महिला हैं आप इस दर्द को समझिए। पहले से ही महिलाएं इतनी पीड़ा झेल रही है। कहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं है। इसलिए इस विधेयक के छिद्रों के दूर करें। जो सरला माहेश्वरी जी बिल लायी है इस पर बैठकर हम और आप विचार करें। एक नए सिरे से इस विधेयक की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए ताकि महिलाओं को सही मायने में सुरक्षा मिल सके। यह क्या विधेयक है कि तमाम छिद्र इसमें छोड़ दिए गए हैं। एक अधिकारी के हाथ में पीड़ित महिलाओं का भविष्य छोड़ दिया गया है। पूर्वाग्रही प्रोटेक्शन अफसर हमेशा पति का ही साथ देगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जो सरकारी विधेयक है इसके बारे में विचार करें और सरला जी जो बिल लायी है उसकी बारीकियों को देखते हुए महिला संगठनों के महत्व को समझते हुए, स्वयंसेवी संगठनों के महत्व को समझते हुए आप पुनर्विचार करें।

यह जो बिल है इसको सदन में पारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह पीड़ित और घरेलू हिंसा झेलती हुई महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत देने वाला बिल है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपसे , सभी लोगों से, पुरुष सांसदों से अनुरोध करुंगी कि इसका जबर्दस्त समर्थन करें ताकि आंसू बहाती हुई महिलाओं को, नारकीय यातना झेलती हुई महिलाओं को, रोज मार खाने वाली महिलाओं को, रातों रात जाड़े की अंधेरी रात में घर से निकाल दी जाने वाली महिलाओं को राहत मिलें और वे भी इस देश में इन्सान की जीवन जी सकें। वे भी आत्म सम्मान के साथ कह सकें कि मेरा भी कोई घर है, मेरा भी अपना कोई जीवन है, मेरा भी कोई लक्ष्य है, मेरा भी कोई रास्ता है जिस पर मैं चल सकूं और सम्मान के साथ इस समाज में रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूं।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, I welcome the Bill brought by Shrimati Sarala Maheshwari. Domestic violence destroys the lives of millions of women around the world and negatively impacts the society as a whole. Domestic violence is undoubtedly a human rights issue and a serious deterrent to development.The phenomenon of domestic violence is widely prevalent but has remained largely invisible in the public domain. Domestic violence continues to negate the rights of women and girls of all the countries. Such violence continues to cut across culture,

class, education, income, ethnicity and age. Domestic violence is one of the most pernicious denial of human rights, because it is perpetrated not by the strangers, but by the family members and people in position of trust.

Sir, the domestic violence in India is no less than cancer or any other ailment. But there is no law to protect its victims. Not a day passes when national and local newspapers do not carry reports about cases of rape, sexual abuse, molestation and so on. Domestic violence takes a variety of forms - mental, physical, sexual and economic and it occurs due to a variety of reasons. Domestic violence has serious consequences for the health and well-being of women. Recently, the Government had introduced a Bill to protect the rights of women who are victims of violence of any kind occurring within the family. The Bill, in its present form, has been objected to by many Women Rights Fora, mainly because it does not provide a clear and comprehensive definition of domestic violence and it contains major loopholes that will enable the perpetrators of violence to get away with their crimes. It will harm rather than help women subjected to domestic violence.

Sir, it is very unfortunate that even after 55 years of independence, gender discrimination is still prevalent in our country and domestic violence, dowry deaths, kidnapping, rape, *etc.* still exist. The women are tortured mentally and physically, in all possible ways. Particularly, this happens in the families living below the poverty line and where illiteracy is rampant. In a majority of the cases, where the women are subjected to domestic violence, on approaching the law enforcing authorities, I mean, the police, ironically, they are further subjected to more violence, both mentally and physically.

Sir, I welcome the suggestion to empower the courts to give relief to the victims of such violence. I submit to this hon. House to kindly consider empowering the courts to give relief to the victims of such violence, without subjecting them to any kind of embarrassment in the witness box by the public prosecutor or by the defence.

In many cases, the courts take an unduly long time, testing the patience of the victims seeking relief. I submit to this august House to kindly consider establishing Fast Track Courts, fixing a time frame, to give relief to these victims. I may further submit that it would go a long

way in meeting the ends of justice if lady Judges and lady public prosecutors are appointed to these Fast Track Courts. For this and other reasons, as explained above, I most respectfully submit to this august House to kindly consider going all out in creating an awareness, for the benefit of the millions of rural folks, by extensively using the electronic media and other visual publicity methods so that the women subjected to domestic violence get to know that some helpline is available to them.

With these words, I once again welcome this Bill.

•SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Sir, the government also introduced a Domestic Viotence Bill in Lok Sabha and several objections were raised by many women's organisations, educationists and lawyers. These bills are introduced with a main objective of protecting the rights of women. Its main aim is to protect women.The Bill intends to put a stop to the atrocities against women. So the Bill should be a comprehensive one which will cover the objectives and also do justice to women. Sir, in my opinion a bill introduced should do real justice to women whether it is a Private Member's Bill or a Government Bill.

The situation of women today is in a miserable state. Women always remain dependent on someone or the other since their childhood. As a child they depend on their parents, after marriage on their husbands and in their old age on their sons.This has become an inevitable aspect in the woman's life.They either have to live with their parents or their in-laws and have no house of their own. Its high time women of our country become independent enjoying a sense of freedom in the society. That is why we have these Acts. There are a number of Acts relating to women. Almost forty legislations have already been enacted, but are these Acts providing protection to women? How much of justice is done to women? How many women are really able to benefit from these Acts? Very few women are really benefited by these Laws. Rural women face lot of problems. I feel that main reason is illiteracy. Lack of education prevents them from making use of the Laws provided to them. What is most important is that women should be able to take recourse to these Laws whenever such need arises.

We have Protection Officers, Police Stations to help women. How many women who lodge a complaint in a Police Station are able to get justice? How many are able to get some relief after going to the courts?

'English Translation of the original speeds delivered in Telugu.

Domestic violence does not necessarily mean problems between husband and wife. Women face many problems as a mother, sister and some times as a guest too. So this Bill has to cover all these problems because they are not financially self-sufficient. Keeping in mind all these problems, a comprehensive Bill should be introduced.

Sir, the government is undertaking several welfare programmes. Many programmes are introduced for women to become financially secured. But we have to look into it to see if these programmes really do justice to them.

I want to mention about Andhra Pradesh, the state to which I belong. In our state, many programmes have been introduced exclusively for women. Our Chief Minister Shri Chandra Babu Naidu's main objective is to educate and provide financial security for women. If a woman has both, she will definitely make of her rights. Apart form introducing these Bills, we should see that women for whom these Bills are intended are able to make use of them. We should see that they are capable of making use of these Laws. We have Women's Protection Cell, Women's Courts in our state, to give them financial security, 33 percent reservation in employment is also provided for in our state. Women are seeking employment in every field. We even find them as conductors in RTC buses.

THE VICE CHAIRMAN: Please speak on the Bill, not on the achievements of the state government.

"SHRIMATI VANGA GEETHA: This is related to women's development, Sir. If other states also follow such measures, it will improve the situation of women.

Protection Officer should be given specific powers. They should be able to implement the Law properly. Women who undergo domestic violence need a palce to live in once they lodge a complaint. Once a woman lodges a complaint against the atrocities faced by her, it becomes very difficult for her to continue living with her in-laws. Sometimes, even the parents are scared to allow her to live with them. In such a situation, where will the woman go? Protection Officers should be given such powers to see that the woman can continue to stay in her own house without any fear. Sir, there is one more thing to be considered. Children will always prefer living with their mother. There is a law, which says that children should be in mother's custody till they attain the age of six years. In that case, the mother along with her children

'English Translation of the original speech delivered in Telugu.

needs protection and also a place to live in. If she has to continue in the same house, she has to be given proper protection.

Sir, I support this Bill whole-heartedly and request the government to introduce a comprehensive Bill which will cover all the problems of women and given enough protection to them. Wishing that the government would consider my request, I conclude my speech and thank you, Sir.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (RAJASTHAN): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. To begin with, I rise to support the Bill of Shrimati Sarla Maheshwari in toto, because the Bill, I believe, has all the necessary provisions for any legislation on domestic violence. In fact, the proposed Bill of the Government of India, which has already been introduced in Lok Sabha, may be withdrawn and may be replaced with this Bill. Sir, when I think of domestic violence, I think of my personal experience. It was about four years ago. I hanged my head in shame because the so called high-class society, the so-called educated people, the so-called decent people by looks, have all kinds of fashion in their life. What we practice in real life is unthinkable. We all have sisters or daughters. When it comes to our own sister or daughter, we have a particular standard. And, when it is somebody else's sister or daughter, we have another standard. This is prevalent rather openly and blatantly. And the most unfortunate part is that in this society of ours, in any religion or community, right from top to bottom, irrespective of whichever class of society it may be, say, be it in the poor class or the middle or the rich class, this is most evident हमारा जो पौरुष है, वह पौरुष कहां चला गया? मैं सोचने लगता हूं कि जो पौरुष स्त्रियों की रक्षा के लिए भगवान ने दिया है, उसको हम स्त्रियों के दमन में काम में लाते हैं। मेरा अपना अनुभव तीन-चार बरस पहले का है। मेरे एक मित्र की बेटी के साथ बरसों तक मानसिक अत्याचार हुआ, मानसिक अत्याचार शारीरिक अत्याचार से किसी मामलें में कम नहीं है और यह यहीं दिल्ली की बात है। मेरे मित्र ने कहा कि चलो, लेकिन मैं हमेशा, जैसे हर मा-बाप चाहते हैं, चाहता हूं कि मेल-जोल हो जाए, अगर कोई बड़ी बात नहीं तो कंसिलेशन हो जाए। पहली बार मैं गया। हमारे दोस्त और मैं बिटिया की मदर-इन-लॉ से मिले, बैठकर बातें हुई और जब बिटिया आई तो हम उसके चेहरे से देख रहे थे कि वह अंदर ही अंदर कांप रही है। शादी के दस बरस बाद यह हाल है। वह अंदर ही अंदर कांप रही थी, उसके

मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। बहुत प्रयत्न हुआ, लेकिन फिर भी यह तय हुआ और मेरे दोस्त ने कहा कि मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कह सका और उस बेटी को एक साड़ी में, जो साड़ी उसने पहन रखी थी, उसी साड़ी में गाड़ी में बिठाकर हम ले आए। उसके पिरवार ने जो कम से कम उसका स्त्री-धन था, वह भी नहीं दिया वापिस आने के बाद तीन महीने तक उस बेटी के मुंह से आवाज नहीं निकली। इस बारे में जितना कहा जाए, कम है और मैं यह सोचता हूं कि हर घर में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम चुप बैठते हैं। हम यहां पार्लियामेंट में बैठकर बातें कर रहे हैं लेकिन उस घर का बहिष्कार करने से हम डरते हैं जिस घर में इस तरह अत्याचार हुआ। उस परिवार के लोग जब हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि-भाई साहब, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, हमारी बहु भाग गई, हमारे पास जाते हैं और उसके खिलाफ कोई ऐक्शन न हों, इसमें हम उनकी सहायता करते हैं।

महोदय, कई बार उस समाज के साथ मेरा संपर्क हुआ, बातें हुई मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस परिवार में लड़कियां नहीं पैदा होती, उस परिवार के लोग सभ्य भी नहीं बन पाते हैं उनको पता ही नहीं है कि स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। ऐसे परिवारों से यह कहता रहता हूं कि तुमलोग स्त्रियों के बारे में बात मत करो, तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तुम्हारे घऱ में बहन नहीं है, तुम्हें क्या मालुम है कि बहन और बेटी क्या होती है।

महोदय, अगर हमारा समाज शांतिपूर्वक रहना चाहता है तो मैं समझता हूं कि इस बारे मे एक विधेयक लाया जाए क्योंकि हमलोग बिना विधेयक के मानने वाले नहीं है। अगर हम विधेयक से भी मान जाएं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा विधेयक लाया जाए कि हर परिवार को, हर पुरुष को एक बहन या बेटी ऐडॉप्ट करनी चाहिए। अगर उसकी अपनी कोई बहन या बेटी नही है तो वह एक बहन या बेटी ऐडॉप्ट कर ले हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बेटा और एक बेटी, दोनों ही होने चाहिए।

महोदय, मैं दुनिया के अपने सारे पुरुष दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि कष्ट के समय बेटी ही काम आती है, बहन ही काम आती है, भाई और बेटे काम नहीं आते। भाई और बेटे फायदा लेना जानते हैं लेकिन बहन और बेटी, सब कुछ देना जानती है। हम पुरुष केवल लेना जानते हैं, हम देना नहीं जानते हैं, इसलिए हम उस बात का महत्व

नहीं मानते हैं। हम यह मानकर चलते है कि स्त्री का काम तो देना है, चाहे वह दादी के रुप में दे, चाहे वह मां के रुप में दे, चाहे वह बहन के रुप में दे, चाहे वह बेटी के रुप में दे। हम पुरुषों का अधिकार है सिर्फ लेना और लेना, इस मानसिकता को हम जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा परिवार शांतिपूर्वक नहीं रह सकता, हमारा समाज शातिपूर्वक नहीं रह सकता और न देश में शांति हो सकती है।

Sir, it is not a token measure towards women, but, actually, it seeks to redress the sufferings of victims of domestic violence. This particular Bill is not a token measure.

मंत्री महोदय यहां बैठी हुई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां कोई मूंछ की लड़ाई नहीं है, यह तो बिना मूंछ की लड़ाई है। आप इसी बिल को अपने वाले बिल में ऐडॉप्ट कर लीजिए, अपने बिल में वे बातें ले आइए जो इसमें लिखी हुई है। हम लोग कोई पोलिटिकल माइलेज नहीं चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर सब लोग बहुत अच्छे मन से इसको ऐडॉप्ट करें और ऐडॉप्ट करके इसको इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि लोग बोलते हैं। अब कोई बिल बन जाता है, पास हो जाता है इम्प्लीमेंट नहीं होता। इससे क्या फायदा है। ऐसा बिल बनाएं जो इम्प्लीमेंट हो और हमारी आथॉरिटी उसको ठीक से संभाल सके।

"The hon. Minister, Dr. Murli Manohar Joshi, had on the 8th of March, when Shrimati Najma Heptullah had spoken about the fact that several women's groups were against this Bill, said, it there were certain misgivings that the women's groups had, we would be only too happy to address them and include them, because our purpose is to provide redress. There were certain points that were discussed in that meeting where Joshiji was available. Firstly, in the very definition of 'domestic violence', the comments that were made are that it should be defined to mean any act, omission or conduct which is of such a nature as to harm of injure or has the potential to harm or injure the health and safety of the person which includes physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, mental abuse and economic abuse."

In today's modern society, Mr. Vice-Chairman, Sir, the husband does not have an automatic right to even sexual activity. (Time bell)

(**समय की घंटी**)-- सर,कोई टाइम लिमिट होती है इसमें?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): आप जानते हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मुझे मालूम नहीं है। आप मुझे बतला दें कि कितना टाइम लिमिट है।

श्रीमती सरोज दुबे: वैसे भी प्राइवेट मेंमबर्स बिल में समय की कोई पाबंदी नहीं होती ।
श्रीसंतोष बागडोदिया: अगर है तो मैं नियमानुसार चलूंगा, आप मुझे केवल बतला दें कि टाइम लिमिट है। कोई बात नहीं है।

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): देखिए, जो नार्मली होता है यद्यपि हम इसमें समय-सीमा में नहीं बंधते हैं। जो टाइम लिमिट था वह दो घंटे था। पहले भी इसमें दो घंटे बाइस मिनट हो गए हैं। यह इम्पोर्टेंट बिल है और ऐसे कई प्रिसीडेंस हैं कि ऐसा इम्पोर्टेंट बिल पर कोई समय-सीमा रही है। चूंकि आपने समय का पूछा है, तो समय अवश्य है प्राइवेट मेंबर्स बिल पर। कितना समय बोलना है यह आप भी जानते है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मुझे नहीं मालूम है।

श्री औबेदुल्लाह खान आजमी(मध्य प्रदेश): न पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है।

श्री संतोष बागडोदिया: मैं अपनी इन्नोसेंस मानता हूं। मुझे मालूम नहीं था इसलिए बोलता चला गया। आप मुझे एलाउ करेंगे तो मैं कुछ और बोलूंगा, नहीं एलाउ करेंगे तो मैं अभी बैठ जाऊंगा। मैं फिर भी यही बोलूंगा कि महिलाओं की रक्षा करो। ...(**व्यवधान**)...

महिलाएं तो बोलती रहती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं। जिससे महिलाओं को यह न लगे कि सारे पुरुष ही महिलाओं कि रक्षा के विरोध में हैं।

उपसभाध्य(श्री सुरेश पचौरी): आप बोलिए चुंकि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्योंकि आपने प्रश्न किया है इसलिए यह कहा।

Shri Santosh Bagrodia: Sir, all groups are demanding the omission of Clause 4(2) from the Bill and, according to them, it is absolutely non-negotiable and cannot be accepted, एक बात और जो मैं पने अनुभव से आपको बतला रहा हूं। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं तथा शादी के बाद स्त्री जिस घर में जाती है

तो उसकी मालकिन हो जाती है। फिर जब यह झगड़ा होता है या कुछ भी होता है तो उसको घर से क्यों निकाला जाता है? उसका आधा शेयर तो मानना चाहिएं पति के हर काम में, पूरी प्रोपर्टी में उसका आधा शेयर है और अगर है क्योंकि यहां पार्लियामेंट का फलोर पर बोलना उचित नहीं होगा लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, उसमें एक नम्बर, दो नम्बर, तीन नम्बर, चार नम्बर, पांच नम्बर, छःनम्बर, सात नम्बर, एकाउंट से मतलब नहीं है। हर चीज में उसका आधा शेयर है। तो अगर एक ही कमरा है तो उसका आधा-आधा करके आधा स्त्रियों को दे दिया जाना चाहिए और आधा पुरुष के पास रहे। स्त्री क्यों निकाली जाए?यह क्या बात हुई? घर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुष का है। उस घर में स्त्रियों को भी उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी की परुषों को मिल रही है महिलाएं तो सड़क पर आ जाती हैं, मां-बाप के पास चली जाती हैं। मां-बाप भी कई बार बोल देते हैं कि यहां मत आओ । उनको भी सामाजिक असुविधाएं हो जाती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि स्त्रियों को अपने मां-बाप के पास जाने की क्या जरुरत है। मैं मंत्री महोदया से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकार निश्चित रुप से मिलना चाहिए कि जब भी ऐसी व्यवस्था बिगड़े स्त्री को कम से कम उस मकान में जहां वह अपने पति के साथ रहती है, उसका आधा हिस्सा उसे नियमानुसार तुरन्त मिल जाना चाहिए। उनको हम यह बोलते हैं, कुछ महिलाओं ने भी कहा है, ठीकहै, उन्होंने इसलिए कहा कि शायद ऐसा नही होगा, उनको किसी घर में रख दिया जाए, किसी वूमैन्स घर में रख दिया जाए, किसी सरकारी व्यवस्था मे रख दिया जाए, किसी को एनजीओज़ में रख दिया जाए? क्यों? क्यों नहीं पुरुष को एनजीओज के साथ रख दिया जाए? क्यों नहीं पुरुष को किसी सरकारी घर में रख दिया जाए?यह सब इसलिए हो रहा है कि हमारी स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। यह इसलिए हो रहा है कि हम उनको काम नहीं करने देते हैं, उनको कोई इकॉनामिक सहूलियत नहीं है मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इनकम टेक्स में भी यह नियम बन जाए, वैसे तो यह इनटाइटी है हमारे चार्टड एकाउंटेंट साहब बतायेंगे स्त्री और पुरुष की लेकिन पुरुष की जो भी इन्कम हो, वह उसी साल आधी इन्कम स्त्री के पास जमा हो जाए, उसके अकाउंट में जमा हो जाए। जब तक इस तरह की बातें नहीं होगी, इकॉनामिक पावर्स जब तक स्त्री के पास नहीं होंगी तब तक उन पर अत्याचार होता रहेगा।

उनके लिए बोल देते हैं कि मेंटिनेंस दे दो। यह कोई पुरुष की मेहरबानी नहीं है कि उनको मेंटीनेंस 500 रुपया, 1000, रुपया, 2000, रुपया दे दिया जाए, खुद तो लाखों में खेलें और स्त्री को दो हजार रुपये दे दें। उस दो हजार में उसे अपने बच्चे भी पालने पड़ते हैं। पुरुष उनके पास अपने बच्चे भी छोड़ जाते हैं। कई बार वे बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ऐसी व्यवस्था में निश्चित रुप से स्त्री को पूरा अधिकार पुरुष

की पूरी प्रापर्टी में होना चाहिए जिससे कि वह सुखःशांति से रह सके। वह पहले जिस स्टैंडर्डस से रहती थी, उसी सुविधा से रह सके।

मंत्री महोदया आपके बिल में क्लॉज 11 है कि एब्जूयर और विक्टिम दोनों की काउन्सिलिंग हो। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि विक्टिम की क्या काउन्सिलिंग करना चाहते हो? आप किसी को थप्पड मारे और फिर उसे कहे की कांउसीलिंग करो भाईया थप्पड पड़ गया है चुप रहो। जिसने थप्पड़ मारा है उसको कुछ नहीं बोलते हैं। भई जिसने थप्पड मारा है, जिसने एब्यूज किया है उसकी काउन्सिलिंग करिये? जिसने अत्याचार किया है उसकी काउन्सिलिंग करो, विक्टिम की क्या काउन्सिलींग करोगे? इस क्लॉज को मंत्री महोदया आप बदल दीजिए। अगर सारी दुनिया के स्टेटेस्टिक्स देखें जाएंतो one out of every three women has experienced violence in an intimate relationship at some point of her life ये स्टेटेस्टिक्स हैं। लोग कहते है कि अमेरिका में वॉयलेंस होता है। लोग कहते हैं युरोप में भी होता है। अफ्रिका के बारे में मैंने सुना है कि बच्ची पैदा होते ही वॉयलेंस शुरु हो जाता है। तरह-तरह के उनके आपरेशन किये जाते हैं। ऐसे-ऐसे आपरेशन किए जाते हैं जिसमें उनकी सैक्सोलॉजी खत्म हो जाए। स्त्रियों के साथ अफ्रीका में इस तरह के भी अत्याचार होते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान अफ्रीका नहीं है।

हिंदुस्तान अमेरिका भी नहीं है, यूरोप भी नहीं है। हिन्दुस्तान की इस धरती पर मैं पूरे जोर-शोर से बोल सकता हूं कि स्त्री को पूरा अधिकार होना चाहिए और अमेरिका से ज्यादा अधिकार होना चाहिए। अमेरिका में तो यह देखने में लगता है कि वहां पर बहुत अधिकार हैं लेकिन मैं बोल सकता हूं कि वहां बहुत से क्लब्ज है, जहां पर आज भी स्त्रियां अंदर नहीं जा सकती। इसी साल का मेरा अनुभव हुआ है। अमेरिका में एक क्लब के रेस्टोरेंट में मैं बैठा था। वहां पर दोस्त के परिवार की कुछ स्त्रियों मिलने के लिए आयीं मुझसे कहा गया कि आप बाहर आ जाओं। मैने कहा कि आप अंदर आ जाएं तो उन्होंने कहा कि हम लोग अंदर नहीं आ सकते, यहां स्त्रियां का आना अलाउड नहीं है। यह अमेरिका के क्लब का हाल है। उस रेस्टोरेंट में महिलाओं का आना अलाउड नहीं था। मैने उनसे कहा कि आप लोग कैसी स्त्रियां हो? हमारे देश में तो इस तरह का व्यवहार नहीं होता है कि स्त्रियां कहीं आ न सकें। मुझे इस बातों की खुशी है कि मेरे यहां आने खुशी है कि मेरे यहां आने के एक महिने के अंदर उस क्लब का रुल बदल दिया गया और स्त्रियां अब उस क्लब में जा सकती हैं, उस रेस्टोरेंट में जा सकती है, उस क्लब के चारों तरफ सब जगह जा सकती है, उस रेस्टोरेंट मे जा सकती है वहां पैसा हो सकता है लेकन बुद्धि या समझ में फर्क हो सकता है। हिन्दुस्तान वाले उनको भी इस मामले में रास्ता दिखा सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हू कि चारों तरफ

से आप लॉ देखने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर मिल जाए तो बता दीजिएगा। मैं उसी समय.....

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): रुल तो है। रुल 33, 34, और 35 हैं। क्योंकि आपने दुबारा यह पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं और क्लीयर कर देना चाहता हूं कि यह सर्कुलर 181 वें सैशन का है The maximum time-limit for Private Members' Bill or Resolution shall be 2 लेकिन यह चेयरमैन का डिसक्रीशन होता है कि इसको बढ़ा सकते हैं।

श्री संतोष बागड़ोदियाः आपका डिसक्रिशन हमें मंजूर है आपने इसको बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। इसको और बढ़ाने दें।

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी)ः चूंकि आपने बार-बार प्रश्न किया इसलिए मैं आपको जवाब देने के लिए मजबूर हुं। ...(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागड़ोदियाःमहोदय, मैं नियम समझना चाहता था I Sir, I stand corrected.

श्री संघ प्रिय गौतम: आपके भाषण से पूरे सदन में पूरे शांति स्थापित हो गयी है ...(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागड़ोदियाःमहोदय, नम्बर ऑफ इंसीडेंट्स तो लोग बोलते ही है कि घरों में हो जाते हैं। मां-बाप, सास-ससुर जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी, सब यही बोलते हैं कि हमारे घर की इज्जत है, इसको चुप रहना चाहिए। एक तिहाई जो केसिज हैं, हो सकता है कि ये केसिज और ज्यादा हों, हम सबको मिलकर यह व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो स्त्री बोलें, उसको संरक्षण मिले न कि उसका समाज से वायकॉट किया जाए। महोदय, इधर-उधर रोज देखने को मिलता है कि किसी स्त्री ने कहा कि मुझे पति ने मारा तो मां-बाप कहेंगे कि वह आपका पति है, जरुर तुम्हारी कुछ गलती हुई होगी। ऐसा सब बोलते रहते हैं। मुझे पता है कि कुछ घरों में ऐसा हुआ कि मेरे मन मुताबिक खाना नहीं बना, इसलिए पति ने पीट दिया, कपड़े समय पर प्रैस नही हुए इसलिए पति ने पीट दिया, एक बार बुलाने से नहीं आयी इसलिए पति ने पीट दिया। मैंने तो यहां तक सुना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नारीमन साहब बैठे हैं, शायद मुम्बई में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी जाति है जहां पर स्त्रियां कहती है कि अगर पित हमें न पीटे तो हमें पता ही नहीं लगता है कि पति हमें प्यार करता है।

श्रीमती सरोज दुबे: ऐसा सब जगह बोलते हैं ।

श्री संतोष बागडोदियाः क्या सब जगह बोलते हैं? बिहार की स्त्रियां भी ऐसा बोलती हैं। मैं स्त्रियां को भी कहना चाहता हूं कि आपको अपनी मनःस्थिति को बदलना चाहिए।

श्रीमती सरोज दुबे: हमने ऐसा समाज बना लिया है, हमारे दिमाग को ऐसा ढाल दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागडोदियाः महोदय, मैं मेरी मानसिक स्थिति के अलावा आपकी मानसिक स्थिति भी समझ रहा हूं। आपने बड़ी मेहरबानी की है और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं बार-बार कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)....अब ये लोग कहते हैं कि बोलें।

श्री संघ प्रिय गौतमः आप तुलसीदास जी की चौपाई सुना दो।

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): ऐसा हे बागडोदिया जी......

श्री संतोष बागडोदियाः मैं एक मिनट में ही खत्म कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): मुझे भी बात कहने की इजाजत दे दीजिए। यद्यपि यह बात आप पर लागू नहीं होती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक बार एक मुशायरा चल रहा था और एक शायर साहब अपनी बात सुनाए जा रहे थे। एक सज्जन और उनके साथ चार-पांच लोग बैठे हुए थे। शायर अपनी शायरी सुनाए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा इरशाद, इरशाद। उन्होंने पूछा कि भाई, तुम कैसे बैठे हो? तो वह बोला मैं तो टेंट वाला हूं और नीचे की दरी उठाने के लिए बैठा हूं। तो आजमी साहब अगर यह कह रहे हैं तो वे साथ ही यह इशारा भी कर रहे हैं कि उनका समय खत्म हो रहा है, आप जल्दी खत्म करें ताकि उनको समय पर बुलाया जाए।

श्री संतोष बागड़ोदियाः मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक बात आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"The psychiatrist sees increasing signs of sensitivity among men to women's aspiration. Three out of ten men are SNAGS."

स्नैग्स का मतलब हुआ Sensitive New Age Guys यानी जो नये बच्चे पैदा हो रहे है।

"In true psycho-parlance he warns, 'Women are developing the masculine side of their personality and tend to go overboard. Men are beginning to exhibit womanly traits but are still uncomfortable

with emotions. Soon both will reach a balance. Earlier, without the social luxury of separation, couples stayed emotionally divorced."

अब दोनों तरफ यह चलन हो गया कि पुरुष थोड़ा नरम होने की चेष्टा कर रहे हैं और स्त्रियां थोड़ी कड़ी होन की लेकिन इसका कहीं न कहीं बैलेंस हो जाएगा।

Ms. Manjula Ramesh dispenses works of comfort to beaten and bruised women, has no quick remedies. In this changed society, torture comes in sophisticated forms. She finds the educated girl's plight much worse. She is now mobile, travels alone, has excellent corporate skills and even has better physical strength. She puts in long hours of work and takes hard management decisions but seems to lack the resilience and courage to manage a husband at home. She scientifically solves problems at work. How come she backs out of a psychological warfare?"

महोदय, अभी तो घर की बता कर रहे हैं, वर्कप्लेस में क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि वर्कप्लेस में क्या हो रहा है और वर्कप्लेस में जो वॉयलेंस होता है स्त्रियों के खिलाफ, उसके लिए और भी कड़ी सजा होनी चाहिए क्योंकि स्त्री जो वहां काम करने के लिए जाती है, उसका ऐडवांटेज लेते हैं उसके इम्प्लॉयर्स। उसके लिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आपके इस बिल में यह है या नहीं, मैं नहीं जानता। अगर नहीं है तो नया बिल लाएं और अगर है तो पुराने वाले को स्ट्रेंथन करें ताकि वर्कप्लेस में वॉयलेंस बिलकुल रुक जाए।

श्रीमती सरोज दुबे: मैं एक बात आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश यह है कि वर्कप्लेस में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए हर जगह एक सेल बनाया जाए और हम लोगों ने एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कमेटी ने जगह-जगह दौरा किया और ऑफिसेज में महिलाओं से बात की तो पता चला कि वहां कंप्लेंट सेल तो बनाई गई लेकिन जब से वह सेल बनाई गई, तब से उसमें एक भी कंप्लेंट नहीं आई क्योंकि अगर किसी ने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उसको इतना हैरेस किया पूरे ऑफिस ने कि उसका ट्रांसफर कर दिया। जिस पर उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। तो आज यह जो समाज बना हुआ है, उसमें चाहे आप कंप्लेंट सेल बना दें तब भी महिलाओं का उद्धार होने वाला नहीं है। ऑफिस वाले इतने सुधर गए कि कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। एक भी ऑफिस कंप्लेंट नहीं मिली हमको।

श्री संतोष बागड़ोदिया: बहिन जी, कोई रास्ता तो .....

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): अच्छा बागड़ोदिया जी, अब जल्दी समाप्त करें।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल(उत्तर प्रदेश): जो कंप्लेंट सेल होती है, उसमें महिला पुलिस ही पोस्ट होती है। अगर वह भी ज्यादती करे तो....

श्रीमती सरोज दुबे: मैं कार्यस्थल की बात कर रही हूं।

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): अब बागड़ोदिया जी को समाप्त करने दीजिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: बहिन जी, कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। एक एक्जाम्पल मैं बहिन जी को देना चाहता हूं।

In the six months since women's help line — 1091 — has been in operation, 52 calls have been registered at the Adyar Police Station in Chennai. Sadly, 70 per cent of them pertain to domestic violence.

ऐसी बात नहीं है, हेल्पलाईन में जाती हैं महिलाए। आप हों वहां तो आप छोड़ेंगी? औरों को तो छोड़िए, आप छोड़ेंगी? आप तो चली जाएंगी और आपको पता चलेगा तो आप उसको पकड़ कर भी ले जाएंगी। तो महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि महिलाओं को बचाइए, इस समाज को बचाइए, तभी इस देश का भला होगा, समाज का भला होगा, और तभी सारे परिवार सुख-शांति से रह सकते हैं, धन्यवाद

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): श्रीमती गुरचरण कौर।

श्रीमती सरोज दुबे: उपसभाध्यक्ष महोदय, रीता जी यहां बैठी हुई हैं...(**व्यवधान**)... बिल उन्होंने इन्ट्रोड्यूड किया है क्योंकि करना तो उन्हीं को है। एच.आर.डी.मिनिस्टर कहां हैं? क्या वे पुरुष है इसलिए नहीं आते हैं। आपको भेज दिया कि सुनिए, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): इनको सारी पावर दी गई है।

श्रीमती गुरचरण कौर(पंजाब): उपसभाध्यक्ष महोदय, अपने मुझे समय दिया है इस विशेष बिल पर अपने विचार प्रकट करने के लिए। सचमुच नारी "तुम केवल श्रद्दा हो"। ऐसा कहा जाता था कि उसकी घर में पूजा होती थी, छोटी बच्ची जिसकी हम दुर्गा के रुप में पूजा करते हैं, अब भी पांव धोते हैं और खाना खिलाते हैं और उससे आशिर्वाद भी लेते हैं। लेकिन घर में तो बाद में आएंगे उनके साथ जब अत्याचार की बात सुनते हैं तो सब लोग सन्न रह जाते हैं। चार-पांच दिन हुए मैंने पंजाब केसरी में एक खबर

पढ़ी थी, जिसमें दिल्ली में 74 नाबालिग लड़कियां जिनकी आयु 6 से 10 वर्ष थी, उनके साथ बलात्कार किया गया। कितने शर्म की बात है? क्या कर रही है, हमारी दिल्ली स्टेट की सरकार। इससे बड़ा दुख हो रहा है। यही नही जिस महिला को अर्धाग्नी समझा जाता था, जिसके बिना हमारी संस्कृति के यज्ञ पूर्ण नहीं होते थे उसकी एक प्रकार से अब दुर्दशा हो रही है। सचमुच मुझसे पहले मेरी बहुत सारी बहनों और भाइयों ने इस विषय में बोला है और बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं था। बहुत कुछ कह चुके है ये लोग, लेकिन फिर यह मैं बताना चाहूंगी कि इतने जुल्म, इतने अत्याचार उनके अपने घर में होते हैं। एक समय था जब छोटी लड़की होती थी । आप बोल रहे हैं कि महिलाओं का कोई घर नहीं है । क्यों घर नहीं है, अपने घर में, अपने पिता के घर में, वह घर की बेटी है । हम बडी लड़की को ही घर की चाबी पकडाते हैं, और किसी को नहीं पकड़ाते । वही उनका आधिपत्य होता है। पति के घर में , अपने पिता के घर में, वह घर की बेटी हैं। हम बड़ी लड़की को ही घर की चाबी पकड़ाते हैं, और किसी को नहीं पकड़ाते। वहीं उनका अधिपत्य होता है। पति के घर में आने से वह घर की स्वामिनी है। हम क्यों समझें कि हम मालकिन नहीं हैं। हमारे घर में तथा सभी स्थानों पर हमारा घर है। लेकिन कुछ लोग बिगड़ चुके हैं और शराब पीकर नशे में अपनी पत्नियों को पीटते हैं। हमें इसकी अत्यन्त भत्र्ना करनी चाहिए। उन लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो इस प्रकार के अत्याचार और जुल्म करते हैं। घर की मालकिन, अर्धाग्नी, बराबर का हक रखने वाली के साथ ऐसे अत्याचार क्यों किये जाएं। लेकिन हमारे देस में, संस्कृति में नारी को एक त्याग की मूर्ति समझा गया है। यह केवल मेरे ही देश में देखन को मिलता है। यह हम अमेरिका, कनेड़ा और यूरोप में नहीं पा सकते। यह सिर्फ हमारे हि देश भारत में है। इसलिए थोड़ा सा हम भी त्याग जरुर दिखाएं और अपने घर के प्रति समर्पित होना चाहिए लेकिन कुछ लोग है, सब लोग ऐसे नहीं हैं। हर औरत को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यह अधिकार मुझे चाहिए। अगर औरत की घर में सुरक्षा नही हैं तो और कहां सुरक्षित रह सकती है । सबसे बडी सुरक्षा औरत को अपने घर में मिलती है। मेरे एक भाई बोल रहे थे कि उनको नारी निकेतन में छोड़ दिया जाए। घर से बड़ी सुरक्षा नहीं है तो और कहां सुरक्षित रह सकती है। सबसे बड़ी सुरक्षा औरत को अपने घर में मिलती है। मेरे एक भाई बोल रहे थे कि उनको नारी निकेतन में छोड़ दिया जाए। घर से बड़ी सुरक्षा कोई नहीं होती है। पति उसका साथी है, जीवन साथी है। पिता उसको एक देवी के रुप में पालता-पोस्ता और बड़ा करता है। वह भी उसका रक्षक है और उसका भाई उसकी रक्षा करता है। हम पुरुषों से इस प्रकार का द्वंद पैदा न करें क्योंकि सब लोग अपने हैं। हमें लड़ना है उनसे जो दरिन्दे हैं, नारी का शोषण करते है, बलात्कार करते हैं और उन पर भद्दे आरोप लगाते हैं। उन लोगों से हमारी लड़ाई है। हमें अपने ही घर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगी कि बहुत हो रहे हैं अत्याचार भी और जुल्म भी।अभी हमारी रिस्तेदारी में एक लड़की के पति ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और शराब पीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस बेचारी पर आरोप लगाया गया कि इसने कुछ दिया है। लेकिन जब केमिकल एक्जामिनेशन हुआ विसरे मे कुछ नहीं निकला तब लगा कि अधिक

शराब पीने के कारण इसकी मौत हुई है। लेकिन उस पर आरोप लगा दिए गए। वहां से बरी हो गई तो क्रिमिनल ब्रांच में वो केस गया। उन्होंने इंक्वायरी कि और वहां से भी बरी हो गई लेकिन उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज करा दी। अब बेचारी इस प्रकार से सजा भुगत रही है। रोज कत्ल के केस में फंसे हुए लोगों कि जैसी हालत होती है वैसी उसकी हालत हो रही है।

[**उपसभाध्यक्ष(श्री संतोष बागड़ोदिया**): पीठासीन हुए।]

ऐसे अत्याचारों से, ऐसे लोगों से हमारी लड़कियों को बचाना चाहिए। यह जुल्म है। बहुत बड़ा अत्याचार है। इनसे रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। लड़कियों के लिए कानून बना। कानून बनते हैं लेकिन उनका दुरुपयोग भी होता है। कानून बनते हैं लेकिन उनकी परवाह कोई नहीं करता है। कोई कानून पर ध्यान नहीं देता कि क्या हुआ। यह कानून भी बनेगा। दहेज विरोधी कानून भी बना था। क्या डोउरी के कानूनी कोई छोटा कानून है। कितनी सख्त सजाएं हैं उसमें। लेकिन क्या उस कानून से अब हमारी लड़कियां जलनी कम हो गयी है? क्या अब लड़कियां नहीं जलती हैं? नित्य सवेरे हम अखबारों में देखते हैं कि हमें खून के छींटों से भरे हुए अखबार मिलते हैं। दो या दस खबरें ऐसी होती है जिनमें हमारी लड़कियां दहेज की बली चढ़ गई। कानून से कुछ नहीं होगा। मैं यह कहती हूं कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिएं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी बहुत जरुरी है। लोगों को लोभ और लालच को छोड कर नारी को सही स्थान देना चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए रट लगाते हैं। मैं यह समझती हूं कि हमारे साथ जो अत्याचार होते हैं, अगर कोई पुरुष अत्याचार करता है, उसका बच्चा अत्याचार करता है तो किसकी कमी है?यह उस बच्चे कि मां कि कमी है जिसने उसे बढ़ियां संस्कारों नहीं दिये। अगर उसकी मां उसे बढ़ियां संस्कार देती तो वह कभी भी नशे में धुत्त हो कर अपनी पत्नी को नहीं पीटता औरत जाति में भी कमी है। इसे सुधारना है। उसे अपने बच्चों को बढ़ियां संस्कारों देने चाहिए। बहु को अपनी बेटी के समान समझना बहुत जरुरी है दुसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार हो। तुम यह अधिकार किससे मांगते हो? अपने पुत्र से मांगते हो, अपने पति से मांगते हो या अपने बाप से मांगते हो? यह सब तो हमारे अपने हैं। एक नारी अपने घर को नरक बनाती हैं और एक नारी ही अपने घर को स्वर्ग बनाती है इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए औरतों को भी अपने संस्कारों को बदलना चाहिए। तब पुरुष भी अत्याचार करना छोड़ देगा। कभी भी अत्याचार नहीं करेगा। इस प्रकार से नारी में भी कुछ कमी है। वह उसे अपने साथ इस प्रकार से अटैच करें कि उस सही मार्ग पर, जिस पर तुम चलती हो वह भी चलने लगेगा। यही अच्छा है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब आवश्यकता

से अधिक अधिकार मिल जाते हैं तब घर टूट-फूट जाते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि कितने घर टूट रहे हैं। कितनी वेदना है। आज घर बन रहे हैं तो कल टूट रहे हैं। ये टूटे घर किसी को अच्छे नहीं लगते। न लड़की के मां बाप को अच्छे लगते हैं और न लड़के के मां बाप का अच्छे लगते हैं। छोटी-छोटी बातों को बतंगड़ बना कर कानून का सहारा लेने से यह बात नहीं बनेगी। हमें समाज सुधार की ओर चलना चाहिए। समाज-सुधारों में हम लोग जितना अधिक योगदान दे सकें, संस्कार दे सकें, हमें करना चाहिए। हमें पश्चिमी सभ्यता की नकल नहीं करनी चाहिएं उनकी नकल करने से हम भी उसी प्रकार से चाहते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा। वह एक बार बोलेगा लेकिन अगर उसे नम्रतापूर्वक याद कराया जाए कि यह आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो ऐसा कोई नहीं होगा जो बार-बार ऐसा करेगा। थोड़ा-सा अपने विचारों, अपने स्वभाव और कर्तव्यों की ओर देखते हुए बदलना चाहिए। घर में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बार-बार कानून का सहारा लोगे, तुम पुलिस के पास जाओगे, वे तुम्हारे कौन हैं?क्या वे अपने घर वालों से अच्छे हैं? क्यूं सुने तुम्हारी बात को? जब वहां जाती है तो देखा गया है कि वहां भी दुर्व्यवहार होता है। कोई अच्छा नहीं समझता।कई बार तो वे वहां पर और भी शोषित होती हैं, शोषण का शिकार होती हैं। इस करके मैं उन महिलाओं, उन संगठनों से भी यह कहूंगी कि आप अकेली बातों में मत रहो।

यहां एक दो संगठनों से मैं मिली, मैंने पुछा, आप लोगों ने कितने केस हल करवाए हैं। जाते ही नहीं हैं। बातें करते हैं। बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें काम करना चाहिए, त्याग की भावना से काम करना चाहिए और अपने घरों को खुद स्वर्ग बनाना चाहिए। जब अपने-अपने घर सुधार लेंगे तो सब लोग सुधर जाएंगे। लेकिन एक दुसरे के कहने से रोक लगाने से कुछ नहीं बनेगा।

बिल अच्छा है। मैं इसका समर्थन करती हूं। इसको परित होना चाहिए लेकिन अपनी कमियों को देखते हूए हमारा भी कर्तव्य है कि घर को बिल्कुल नहीं तोड़े। यह बड़े दुख का कारण है। इतनी ही बात कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद।

डा॰ कुमकुम राय(बिहार): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। सरला माहेश्वरी जी द्वारा प्रायवेट मेंम्बर बिल के रुप में घरेलू हिंसा निवारण विधेयक, 2001, जो लाया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं ।

कैसी विडम्बना है कि आज इक्कीसवीं शताब्दी मे एक अरब से ज्यादा आबादी वाले इस हिंदुस्तान मे सरकार के द्वारा लाया गया एक घरेलु हिंसा निवारण बिल लम्बित है और आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्राइवेट मेंम्बर के द्वारा लाया गया जो बिल है वह सब तरह से उचित है और उससे ज्यादा सक्षम है।

4.00 P.M.

यह वही हिंदुस्तान है जो जहां हमारे आर्ष वाक्यों में शामिल है-
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
और दूसरी तरफ हम अपनी आराधना में, प्रार्थना में
या देवी सर्वभूतेषु मात्र रुपेण संस्थिता
नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः

इन सब आर्ष वाक्यों, आराधनों, प्रार्थना के स्वरों के साथ-साथ आज इस बिल पर चर्चा होना अपने आप में एक पुख्ता प्रमाण है कि आज घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियां हो रही हैं, बालिकाएं हो रही है, लड़कियां हो रही है और घरेलू हिंसा का निवारण करने के लिए हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश में भी एक सख्त कानून कि आवश्यकता है।

हिंसा कई प्रकार की होती है-शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, इस प्रकार का शोषण जो मानसिक रुप से हो, मनोवैज्ञानिक रुप से हो, आर्थिक रुप से हो, शैक्षणिक रुप से हो। कई तरह के शोषण है जिन्हें हम हिंसा का नाम दे सकते हैं। हमारे यहां सदियों से यह जो पुरुष प्रधान समाज रहा है उसमें पुरुषों के लिए अलग मापदण्ड बने हैं, महिलाओं के लिए अलग मापदण्ड बने हैं। हमारे सामाजिक रिति-रिवाज है, धार्मिक नियम है, हर एक धर्म और हर ऐक सम्प्रदाय में महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम है, कुछ अलग धार्मिक कानून है और पुरुषों के लिए अलग है। गम्भीरता धर्मो से उन तमाम यदि अध्ययन किया जाए तो धार्मिक स्तर से ही हमारे समाज से वर्षों वर्षों स्त्रियों का शोषण होता आया है। क्या सुनने में अजीब नहीं लगता कि कठिन से कठिन व्रत उपवास एक स्त्री अपने पति को दीर्घ जीवन के लिए करती हैं। निर्जला-उसके दीर्घ जीवन, उसके स्वास्थ्य कामना के लिए वह निर्जला उपवास करती है। अपने बेटे के लिए , बेटे के भी दीर्घ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वह निर्जला उपवास करती है, लेकिन आज तक एक भी ऐसा कोई व्रत बताइये जिसे किसी पुरुष ने, चाहे वह पिता हो, पति हो या पुत्र हो, जिस ने अपनी पत्नी के लिए, पुत्री के लिए या अपनी बहन के लिए किया हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया)ः आजकल करते हैं।

डा॰ कुमकुम रायः नहीं, बताया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): करवा चौथ में कई स्त्री-पुरुष दोनों करते हैं।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहलः हमारा एक दोस्त था वह जिस दिन करवा चौथ होता था, बताया गया कि वह सवेरे से शाम तक पत्नी के साथ रहता है। मैंने कहा कितना

स्वीट, कितने गजब कि सिंपेथी है। तब उसके भाई ने बताया कि सिंपेथी वगैरह कुछ नहीं है सिर्फ इसलिए है कि वह कहीं कुछ खा न ले और उसकी जिन्दगी को खतरा हो जाए। इसलिए साथ रहता है।

डा॰ कुमकुम राय: सिंहल साहब ने ठीक कहा। करवा चौथ में वह अपनी पत्नी के पीछे चन्द्रमा के निकलने तक इसलिए लगा रहता होगा कि कहीं वह बेहोश होकर गिर न जाए, उसका कहीं रक्तचाप नीचे न चला जाए या कुछ ऐसी बीमारी न लग जाए कि कल का खाना नसीब ना हो। तब फिर सुबह का नाश्ता, सुबह की चाय कौन देगा। लेकिन यही सच्चाई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, धार्मिक स्तर पर भी, हमारे यहां पुराने जमाने में भी जो त्याग और करुणा की भावना है, वह सब स्त्रियों के लिए कही गई है। यहां तक की मरने के बाद भी सती बना करके उसका मंदिर बना दिया जाएगा, वह पूजनीय हो जाएगी, इस रुप में उनका मानसिक शोषण किया गया, दुसरी तरफ, स्त्री को एक उपभोक्ता वस्तु के रुप में समझ करके तमाम गहनों को ईजाद किया गया। सिर से लेकर पांव तक उसे गहनों से लादा गया। लेकिन गहने उसे सजाने के लिए कम, प्रतिबंधित करने के लिए ज्यादा हुए। उस पर रोक-टोक और रक्षा कवच के रुप में वह गहने ज्यादा हुए। सदियों से आ रही इन्हीं धारणाओं और इन्हीं मान्यताओं के चलते हमारे यहां स्त्री के लिए अबला, अबला एक संज्ञा हो गया, विशेषण नहीं, बल्कि संज्ञा के रुप में अबला शब्द हो गया। जय शंकर प्रसाद जी ने भी कहा, "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी"। तो स्त्री को इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रुप से, आर्थिक रुप से, धार्मिक रुप से, शैक्षणिक रुप से, हर तरफ से उसको इस रुप से दबाया गया कि वर्षों-वर्षों से स्त्री के इसी रुप को ही मान्यता मिल गई। जहां कहीं भी किसी स्त्री ने अपने अधिकारों के लिए सिर ऊंचा किया तो उसके लिए दर्जनों विशेषण और दर्जनों ऐसे शब्द ईजाद किए गए , कलंकनी और कुलटा के रुप में, कुलघातनी के रुप में कि वह अपने अधिकारों के प्रति आवाज ही बुलंद न कर सके। हम स्त्री मुक्ति आंदोलन की बात करते है, नारी स्वातंत्र्य की बात करते हैं और अभी महिला सशक्तिकरण शब्द बहुत प्रचलित है। और तो और हमारी संसदीय कमेटी, विमेन एंपॉवरमेंट कमेटी भी है। लेकिन इन सब के बावजूद हर धर्म, हर संप्रदाय और हर वर्ग, चाहे वह उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, पौरुष का अपने आपको प्रमाणित करने का पहला स्थान घर की वे महिलाएं होती हैं जिनके ऊपर वह हिंसा करता है। कन्या, भ्रूण के रुप में ही माता के गर्भ में हिंसा को महसूस करना शुरु कर देती है। भले ही

सरकार ने मादा भ्रण की हत्या को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, मैं नहीं जानती इन कानूनों का समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उस से रोक लगेगी। लेकिन जहां लड़कियों को जन्म लेन का अधिकार नहीं है, जन्म लेते ही घर के अभिभावकों के माथे पर चिंताओं की लकीरें बन जाती हों और उन लकीरों के साथ उस लड़की का जिस घर में स्वागत हो, उन घरों में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ-चाहे वह किसी भी रुप में हो, एक उन्मुक्त, स्वच्छंद और आनंदमय वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती। पैदा होते ही उसके पालन-पोषण में भेदभाव होने लगता है क्योंकि कुल का दीपक तो लड़का होता है, लड़कियां तो पराया धन होती है क्योंकि वे पराया घर चली जाएंगी। जन्म के साथ पालन-पोषण में भेदभाव, उसके बाद शिक्षा की बात आती है, तो उसे पढ़ा -लिखा कर क्या करेंगे। वह तो पराया धन है। दहेज तो देना ही पड़ेगा, इसलिए वह धन जो इन्हें पढ़ाने में खर्च हो उसे जोड़ कर रखा जाए तो वह दहेज के काम आएगा और फिर जब शादी कि उम्र हो जाए तब माता-पिता योग्य वर की तलाश में चप्पलें चटकाते और जुतों के तल्ले तोड़ते हैं। कई घरों के दरवाजे जाते हैं। समाचार पत्रों में आने वाले हमारे वैवाहिक विज्ञापनों पर नजर ड़ाले तो पाएंगे-दुधियाई गौराई। सुन्दरता का कोई माप दण्ड नहीं होता। फिर ग्रह कार्य में दक्ष और तमाम योग्यताएं होनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, उन विज्ञापनों में एक भी लाईन नहीं रहती की इतना धन चाहिए मगर मांग इतनी के बेचारे बाप के कमर टुट जाए। उपसभाध्यक्ष, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि इस देश में दहेज विरोधी कानून की जरुरत नहीं है बल्की उसे सरकारी सहमति दे दी जाए की हां, लड़कियों को संपति भी अपने पिता की सम्पत्ती में जो अधिकार प्राप्त है, वह उसे विवाह के वक्त ही घोषित रुप में दे दिया जाए, पिता की जैसी हैसियत हो, जैसी संपति हो, उस रुप में दे दिया जाए। उस स्वीकृती के साथ लड़की को विवाह करके ससुराल में जाने की अनुमति मिले तो दहेज के रुप में उसे जो प्रताड़ना और दहेज हत्याओं के आंकड़े उनमें कमी आ जाए। येन-केन –प्रकारेण विवाह के पश्चात भी वह लड़की जो कि संपन्न है, उसके साथ कई समस्याएं आती हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि एक-से-एक आधुनिकतम चुल्हे पर अच्छे-से-अच्छा भोजन बनाने वाली लड़की ससुराल आती है तो स्टोप फट जाता है, उसकी साड़ी में आग लग जाती है और वह उस आग में जल कर मर जाती है। उसके बाद बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर की इन हत्याओं के विरोध में हत्याओं के अभियुक्त को उपयुक्त सजा मिल पाती हो,

तो इस प्रकार की घरेलु हिंसाए होती रहेंगी जबतक की उसे संपति का अधिकार नहीं मिलता। विवाह के कई-कई वर्ष बाद भी इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष एक से

अधिक नाजायज संबंध रख लें तो वह सब जायज है, लेकिन अगर पत्नी जरा भी पुरुष की खिलाफत करना शुरु कर दे, आवाज बुलंद करना शुरु कर दे तो उसे घर से निकालने के तमाम षडयंत्र शुरु हो जाते हैं। उस पर अनेकों कल्पित कंलक गढ़े जाते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए तमाम ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और हमारा कानून भी इसमें उनकी मदद करता है क्योंकि हमारे कानून में अनेक ऐसे छिद्र हैं। अब तो समाज में पुरुषों कि इस प्रकार की स्वतंत्रता को जायज रुप दिया जा रहा है, समाजिक वैधता दि जा रही है जिसे हम रोक नहीं पा रहे हैं और हमारे घरों में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के उपर अत्याचार की मात्रा बढ़ती जा रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, तलाक में सबसे बड़ी दुर्दशा बच्चों की होती है। पुरुष बड़ी जल्दी पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन मां तो जननी है, उसने जन्म दिया है और इसलिए वह अपने सब अरमानों का गला घोंट कर सबकुछ सहने के लिए तैयार हो जाती है। मुआवजे के लिए ही दर-ब-दर ठोकर सहनी पड़ती है, ऐसे घरेलु हिंसा निवारक विधेयक में यह मजबुती जरुर प्रदान की जाए कि उन घरों में जहां मतभेद हो या अन्य किसी प्रकार के मतभेद हो तो भी स्त्री को घर छोड़कर न जाना पड़े, विवाह के साथ ही साथ ससुराल की संपत्ति में उसको कानूनी अधिकार मिले, अन्य एसी किसी प्रकार कि घोषित और अघोषित संपत्ति में भी उसको कानूनी और वैज्ञानिक अधिकार मिले। हम इस प्रकार के किसी भी कौन सेलर या किसी भी सुरक्षा पदाधिकारी या थ थाने पर विश्वास नहीं करते, ऐसी बात नहीं है कि अभी यह सब नहीं है, लेकिन देखने मे आया है कि इन आंकड़ो में कोई कमी नहीं आई है बल्के इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है

महोदय, जरुरत इस बात की है की मानसिक रुप से हम अपनी इस आधी आबादी को मजबुत कर सकें और जो बेटरहाफ है पुरुष वर्ग, वह भी मनोवैज्ञानिक और मानसिक रुप से इसके लिए अपने-आपको तैयार करें की स्त्रियां जोर जुल्म का प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला नहीं है। स्त्री तो सृष्टि का एक स्त्रोत है। हमारे हिंदु धर्म में पुनःजन्म पर विश्वास किया जाता है फिर भी स्त्रियों पर जोर जुल्म और अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में तो आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां के पुरुष अपने मुछों पर ताव देकर बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे गांवों में बारात आती नहीं, हम बारात लेकर जाते हैं क्योंकि हमारी बेटियां नहीं हैं। कितने हैरत की बात है, क्या यह विश्य गर्व का हो सकता है? अगर इसी प्रकार का जोर जुल्म और अत्याचार जारी रहा तो हमारे हिंदु धर्म में जो पुनः जन्म की मान्यता है, उसमें आत्मा का कोई लिंग नहीं होता,तो यह जो आत्मा आज स्त्री शरीर में है वह दोबारा स्त्री शरीर को धारण करने से इन्कार कर देगी। शायद यह एक प्रमाण है कि अब पुरुषों के हिसाब से स्त्रीयों कि आबादी कम होने लगी है वह दिन दुर नहीं कि आपको

अपने सामाज में विवाह लायक के लड़कों के लिए उपयुक्त लड़कियां मिलना मुश्किल हो जाए क्योंकि लड़कियों कि संख्या कम हो रही है, चाहे अध्यात्मिक कारण धर्म के हिसाब से हो या मादा भ्रूण हत्या के कारण हो लेकिन यह एक असलियत है, हमको इस ओर भी देखना होगा कि सामाज में यह असंतुलन ना हो सके, प्रकृती में असंतुलन ना हो सके, समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में आपसी सदभाव पर जोर हो, ना सिर्फ पति पत्नी के रुप में बल्कि स्त्री पुरुष के रुप में भी। आपने अपने भाषण में कहा कि जब ससुराल में लड़कियों के साथ अत्याचार होता है तो खुले मन से वह अपने मायके भी नहीं जा पाती है।क्योंकि उन्हें तो शुरु से सिखाया गया है कि तुम तो पराया धन हो और ये भी कहा जाता है कि आज तुम ड़ोली पर वहां जा रही हो उस घऱ से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए । इसलिए जब अत्याचार होता है तो वह जानती है कि उसका बाप, उसका भाई उसे वह संरक्षण नहीं देंगे, उसके उपर वह खर्चा नहीं कर पाएंगे और इसलिए इस नर्क को भोगने से अच्छा है कि मर जाया जाए। इसलिए ऐसी आत्महत्या की घटनाएं सुनने में आती है,

मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस घरेलु हिंसा के महत्व पर, समाज में इसके कारण होने वाले दुष्परिणामों और सामाजिक असंतुलन पर आकृष्ट करना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि इस विधेयक का बहुत ज्यादा महत्व है इसलिए आनन-फानन में या बेगार के रुप में यह सरकारी विधेयक न लाया जाए। यदि लाया गया है तो श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने और अन्य तमाम वक्ताओं ने जो आपको सुझाव दिये हैं, उन सुझावों पर और गौर फरमाकर, तमाम महिला संगठनों, तमाम महिला आयोगों तथा तमाम स्वयंसेवी संगठनों के सुझावों पर गौर फरमाकर और उसे सर्वगुण सम्पन करके आप यह विधेयक लाएं और कानून का रुप देकर समाज में होने वाली इस घरेलू हिंसा के कारण जो असंतुलन हो रहा है, जो गैर-बराबरी और अशांति का मूल कारण है, उसे रोकने के लिए आप आगे आएं , तब आप सबकी बधाई और सद्भाव की पात्र होंगी। धन्यवाद।

SHRI FALI S. NARIMAN (Nominated): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I will just take a few minutes, not only to welcome this Private Member's Bill, but also to emphasise to all the Members in this House that the right to the matrimonial home, what is called the shared household, as the Bill describes it, is the most important insurance against domestic violence. This concept, Sir, was an invention, originally, of Judges in England. After the War, when half a million soldiers did not come back because they were killed in France, Germany etc., there were a large number of widows in England who were subjected to eviction proceedings. These eviction proceedings resulted in eviction orders, because the tenant was only the husband and since there were no prospects of the husband coming back, the court said: "An eviction order has to go, as a matter of course." So, thousands and thousands

of widows were evicted, and it was only because of the ingenuity of a great Judge, Lord Denning, particularly, who invented this concept of a matrimonial home that the women were saved. He said that the matrimonial home is a concept which we must now introduce in society, namely, the husband and the wife share a home and therefore, this shared household concept came in. Unfortunately, this decision was reversed by the House of Lords. They said: "When we look at the law, there is no such thing here," and there was such an uproar in Parliament that they had to introduce a Bill, which became the Matrimonial Homes Act. Therefore, Sir, I very strongly recommend to the hon. Minister to consider that in the Government-introduced Bill, where this clause is absent. It is a very, very important protection, almost a certain insurance, against domestic violence, and I would respectfully request the Government to kindly introduce this concept in such form as they think right, because it is time we introduced it. It was introduced long ago in the European countries. We must now introduce it in our society. Secondly, the term domestic violence as the hon. Member, Mr. Santosh Bagrodia, when he spoke from the floor said, was inadequately defined. Right. It was inadequately defined, but I would respectfully suggest, let us not reinvent the wheel. It has been considered very carefully and the U.N. Model Code of Conduct on Violence defines domestic violence. So, I would respectfully suggest that, as far as possible, we adopt that provision to our definition of domestic violence because it covers a very wide variety of different types of violence. It is correct that we require a change in the mindset because we are a male-dominated society. But laws do help and laws do bring about a social change and help establish norms of behaviour. And ultimately we must try to break this chain of violence where the frustrations of a daughter-in-law lead to a dominant mother-in-law, who herself becomes violent to her daughter-in-law in turn because that is also a type of violence that we have to eschew, that we have to prevent and that requires certainly, as one of the honourable Members rightly said, education in our society, in this particularly male-dominated society. But I would respectfully urge that even if the honourable Minister does not accept all the provisions of this Bill, the two most important provisions are: (1) The proper definition of 'domestic violence', and (2) The right to a shared household, howsoever you put it, or a matrimonial home. Thank you.

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी: महोदय, सबसे पहले मैं सरला जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होने घरेलू तशद्दुद जैसे अहम मौजू पर पार्लियामेंट में बिल

पेश किया है। मेरा ख्याल है कि यह निहायत ही संजीदा मौजू है और इसके बारे में तरह-तरह की गलतफहमियां भी समाज मे फैली हुई है। आम ख्याल यह है कि घरेलू तशद्दुद के वाकयात उन्हीं मुल्कों में ज्यादा होते हैं जो तरक्कीयाफ्ता नहीं है। एक और गलतफहमी यह भी है कि घरेलू तशद्दुद के वाकयात अनपढ़ या कम पढ़े –लिखे तबके में ही ज्यादा होते हैं लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। घरेलू तशद्दुद एक आलमगीर मसला है और दुनिया के इंतहाई तरक्कीयाफ्ता ममालिक में भी घरेलू तशद्दुद के वाकयात आम तौर पर सुनने को और देखने को मिलते हैं।

महोदय, अमरीका जैसे तरक्कीयाफ्ता मुल्क में भी 40 लाख औरतें किसी न किसी किस्म के घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वॉयलेंस की शिकार हैं। आलमी आदादोशुमार के मुताबिक औसतन कम से कम 3 में से एक औरत को अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में करीबी रिश्तों में डोमेस्टिक वॉयलेंस का सामान करना पड़ता है। यह औसत तरक्कीयाफ्ता सनअती ममालिक में किए गये जायजों पर मबनी है। ताहम हिंदुस्तान में घरेलू तशद्दूद के फैलाव पर आदादोशुमार बहुत ही कम दस्तियाब हैं। लेकिन इस मौजू पर हिंदुस्तान में जो चंद मुताले किए गए हैं, उनके मुताबिक हिंदुस्तानी औरतों पर जिस्मानी तशद्दूद की शरह काफी ऊंची पाई जाती है।

सदरे मोहतरम, जहां तक तरक्कीयाफ्ता ममालिक और बिलखुसुस यूरोपियन ममालिक का ताल्लुक है, वहां घरेलू तशद्दूद की शिकार औरतों के लिए समाज में जागरुकता अच्छे ढंग से पाई जाती है और उनकी मदद के लिए तरह-तरह की खिदमात भी दस्तियाब हैं। मगरबी ममालिक में बहुत सी तंजीमें, आर्गनाइजेशंस और बहुत सी एजेंसियां हैं जो खुसूसी तौर पर डोमेस्टिक वॉयलेंस की शिकार खवातीन की मदद के लिए अपने आपको वक्त किए हुए हैं। लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, यहां अव्वल तो ऐसी तंजीमों की तदाद न होने के बराबर है। लेकिन जो चंद एजेंसियां आर्गनाइजेशन हैं वह तो अमूमी तौर पर डॉमेस्टिक वॉयलेंस की शिकार औरतों तक उनकी रसाई कम हो पाती है। घरेलू तशद्दूद की शिकार औरतों की अकसरियत को वॉयलेंस के नतीजों में जो पहुंचने वाले नफसियाती सदमें और जिस्मानी चोटों के लिए कोई मेडिकल इमदाद भी नहीं मिल पाती। इन हालात में रहने वाली दस में से चार औरतें घर की इज्जत और शर्म की वजह से खामोशी से यह जुल्म सहती रहती है। सदर मोहतरम, सरला माहेश्वरी जी के जरीएप्राइवेट मेंबर्स बिल पर पार्लियामेंट में जो बहुत ही अच्छी और गंभीर सी बहस हो रही है बार-बार हमारे मोआज्जिज मेम्बरान पार्लियामेंट ने हुकूमत से यह मुतालिवा किया है कि एक ऐसा बिल जिसे हम सरकारी बिल कहते हैं जो लोक सभा में पास हो गया है ख्वातीन के मुताल्लिक उन पर तशद्दूद और जुल्म रोकने के मुताल्लिक यह प्राइवेट मेंबर्स बिल जिन सुझाव का हामिल है वह सुझाव यकीनन ऐसे हैं कि सरकारी बिल में उसे मजबूती के साथ गवर्नमेंट को लेना

चाहिए ताकि औरतों पर होने वाले जुल्म और सितम का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। सदर साहब, चिंताएं हाउस में व्यक्त की गई हैं और जिस तशवीश से मेम्बरान पार्लियामेंट ने हुकूमत से और हुकूमत के जरिए मुल्क को आगाह किया है यकीनन औरत के साथ पढ़े-लिखे समाज में अक्ल और इल्म रखने वाले समाज में इस तरह का जुल्म होना ऐसे समाज को कहीं से भी इंसानियत के दायरे में नहीं लाता। हमने जानवरों की नफसियाती जिंदगी भी देखी है। जंगलों मे रहने पहले वाले जानवर अपने जोड़े के साथ जिस प्यार और मोहब्बत की नेच्युरल इजहार करते हैं, खामोश रहने वाले जानवर, बेजुबान जानवर, बेइल्म जानवर, बेअक्ल जानवर, बेहिस जानवर वह भी इस अक्ल रखने वाले इंसान को, एक इल्म रखने वाले इंसान को, फिकरो फहम रखने वाले इंसान को खामोशी से मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं कि तुम्हारे जोड़े तबाही के लिए नहीं है आबादी के लिए है, हमारी औरतें बरबाद करने के लिए नहीं है, उनके जरिए नस्लों को आबाद करने का कुदरत ने तुम्हें मौका दिया है जिस हसीन बेहतर और कुदरत के इन नजरों से भरपूर मौके को गंवा देना कुदरत की भरपूर नाशुकरी की अलामत है। इसलिए जब हम औरतों पर तशद्दुद के वाकियात पढ़ते हैं, सुनते हैं तो दर्दमन इंसान का दिल भर आता है। मगर उसी तरह से हमारा समाज इन तमाम तरचीजों की अनदेखी कर देता है जिस तरह से एक जनाजा समाज से उठता है, शमशान या कब्रिस्तान की तरफ जाता है उस वक्त समाज को देखते ही बनता है। समाज के अच्छे हजरात भी उस जनाजे में शामिल होते हैं। जो लोग वह अरथी उठाकर ले चलते हैं या जिसकी अरथी जाती है उसके साथ अपनी हमदर्दी और सिम्पैथी का इजहार करते हैं।हमने देखा है कि इस मौके पर अच्छे-अच्छे लोगों की चौकड़ी भी भूल जाती है। लोग निहायत ही संतुलन को पेश करते हैं, संजीदगी और इंसानियत के दायरे में रहकर अपने-अपने इंजाम के बारे में सोचने लगते हैं।

उपसभाध्यक्ष(श्री संतोष बागड़ोदिया): मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सब की ऐसी ही इच्छा है कि आज इसको खत्म कर दिया जाए। अगर जल्दी खत्म करदें तो मेहरबानी होगी

मैलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी:ठीक है, मैं तो हुकम का पाबन्द हूं। मैंने यह सुना था कि 5 बजे तक चलना है इसलिए ठहर-ठहर कर बोल रहा था।

उपसभाध्यक्ष:मंत्री जी को भी बोलना है।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली। औरों के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया):आपके बाद सिंहल जी को बोलना है, फिर

मंत्री जी बोलेंगी।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी: मैं सिंहल जी के लिए तो सिग्नल अभी से देने के लिए तैयार हूं। सदरे मोहतरम, मैं चंद बातें और आपसे कहना चाहुंगा की हम अपना आखिरी सफर जब जिन्दगी का तय करते हैं तो उसमें बहुत गंभीर हो जाते हैं और हर बुराई हमारी निगाह के सामने आने लगती है और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि अबसे हमारे जीवन में किसी तरह की कोई खराबी पैदा ना हो।लेकिन ज्यों ही हम शमशान घाट से या कब्रिस्तान से वापस इन नाम-नेहाद जिन्दों के माहौल में आते हैं, हमारे दिल-दिमाग से उन तमाम सच्चाइयों का नूर बुझ जाता है। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि एक बेटी के रुप में जिस लड़की ने जन्म लिया वह किसी कि बिबी के रुप में उसके घर गयी, हालाकि उसी बीबी के पेट से उसकी अपनी बेटी का भी जन्म होता है फिर अपनी बेटी के जतन के लिए, उसकी हिफ़ाजत के लिए एक इन्सान जिस तरह सोचता है उसे यह भी सोचना चाहिए मेरे घर में जो बीवी की शकल में, जो औरत आई है वह भी किसी ना किसी की बेटी है। जिस तरह मुझे अपनी बेटी से प्यार है, जिस तरह से अपनी बेटी के नफा और नुकसान का ध्यान है, मुझे दूसरे की बेटी का नफा और नुकसान उसी तरह से ध्यान में रखते हुए जिस हैसियत का मैं हुं, उस हैसियत से मुझे अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को खुश रखना चाहिए ,जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, उस जुल्म व तशदुद के इज़ाले के लिए मैं चंद सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं।

जदीद समाजी तकाजों को समझना और समाज को उसके लिए तैयार करना कानून में मुनासिब तरमीम जरुरी है। स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज में औरतों के सिलसिलें में निसाब में औरतों का हक क्या है, इसे भी शामिल किया जाना चाहिए।खवातीन की तालिम को आम किया जाना चाहिए, आम आदमी कि हालत और माली हालत को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। पुरानी रिवायतों को फिर से जिन्दा करने कि मुहिम चलानी चाहिए। समाजी अखलाकी और मजहबी अकदार को अज़सरेनो कयाम करना चाहिए । मनशियात पर, नशा कि चीजों पर और दहेज पर खुसूसियत से पाबंदी लगानी चाहिए। टी॰वी॰ पर तशद्दूद की नित नई कहानियां सामने आती हैं और जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस दिखलाया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस देखने वालों को बजाय इसके कि यह सबक मिले कि वे इस वायलेंस से अपने को अलग करेंगे, मैं समझता हूं कि वे वायलेंस की और ट्रेनिंग भी लेने लगते हैं। इसलिए ऐसी चीजों की भी भरपूर मज़म्मत करना चाहिए। औरत बड़ी ही सबरदार शय का नाम है, वो जुल्म को होने के बाद भी उसके इजहार के लिए सौ मर्तबा सोचती है, अपनी घर की इज्जत के लिए, अपने शौहर के इज्जत के लिए खामोशी के साथ उस जुल्म को बर्दाश्त करती है। ऐसी शूरत में हमारे जिन्दा समाज का यह फर्ज है कि उस औरत की उस खामोशी को अच्छे ढ़ंग से समझे,

इसलिए कि उसका तो उमूमी तौर पर कहना यह होता है कि "सबको मेरी आंखों का मुद्दआ समझाना था, मैं तो एक मूरत थी, मुंह से बोलती कैसे"।

औरतों पर जुल्म मर्द समाज की तरफ से यकीनन बे-पनाह है। मर्द एक तरफ चोरी भी करता है और दूसरी तरफ सीना जोरी पर भी उतर आता है। गलत बोलकर एक औरत को हरवा देने की बात करता है। परवीन शाकिर ने ऐसे समाज की तस्वीर बहुत दिलकश अंदाज में सदर साहब खींची है। वह कहती हैं कि मैं सच भी बोलूंगी, तो उससे हार जाऊंगी। वह झट गलत बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ऐसे समाज में हम सब लोगों कि जिम्मेदारी है कि औरतों पर होने वाले वॉयलेंस को निहायत ही गंभीरता से लें और उसके सद्देबाव के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मेरे कुछ सुझाव और भी है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे अपने सरकारी बिल में इन्हें भी जगह दें तो तशद्दुद को कम करने का हमें मौका दस्तयाब होगा। जो कवानीन आलरेड्डी इस सिलसिले में मौजूद हैं उनका तजजिया किया जाए, उनकी खूबियां और खामियां देखी जाए। जो कवानीन मौजूद हैं उनको आवाम में आम किया जाए ताकि लोग उस पर अमल भी करें और सजा का खौफ भी हो। जो फैमिली इस पर अमल करती हो उसको इस पर आवार्ड भी दिया जाए। मोनेटरिंग कमेटी औरतों और मर्दों की बननी चाहिए। और अगर बनी हो तो उसको और पावर्स दी जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इसे लागू किया जाए। घरेलू तशद्दुद को लोग अक्सर झगड़ा समझते हैं। उसको क्राइम के दायरे में लाया जाए। साल में एक दिन ,वीमैंस डे.,मनाया जाता है, इसी तर्ज पर साल में एक बार ,हैल्पी फैमिली डे , भी मनाया जाए। ताकि लोग उससे भी अच्छी फैमिली का रास्ता अपनाएं। मेरे कुछ और सुझाव भी हैं औरतें मजलूम मानी जाती है मगर उसी के साथ-साथ यह भी देखा जाए कि औरतें उसका गलत फायदा उठाकर कहीं मर्दों को तशद्दुद का शिकार न बनाएं। औरत जरुर अपने पैरों पर खड़ी हो और उसकी तालीम का सरकारी तौर पर, समाजिक तौर पर और माशी तौर पर भरपुर इंतजाम किया जाए। सरकार कोई ऐसा आंकड़ा पेश करे कि सालाना तौर पर औरतों को बावकार बनाने के लिए कितनी कामयाबियां मिली है और सालाना कितना दुरुपयोग हुआ है। कोई ऐसा सरकारी फंड भी बने जो तशद्दुद का शिकार होने वाली औरतों के लिए मददगार साबित हो। साथ ही साथ स्कूलों में, कालेजों में डोमैस्टिक वायलेंस के बारें में बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेट किया जाए। सर, आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह फैमिली प्लानींग वगैरह के लिए आवामी जानकारी के लिए पोस्टर, बैनर वगैरह लगाए जाते हैं उसी तरह पब्लिक प्लेस पर, जैसे हास्पिटल, मार्किट प्लेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर भी यह जानकारीयां फराहम की जाएं। इसके अलावा सख्त तौर पर कानून का निफाज होना चाहिए और जो भी इस केस में आता है, उसे हर तरह से निपटाना चाहिए। इन्हीं जुम्लों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया।

श्री संघ प्रिय गौतमः मजहबी खिताबात के तजकरात तल्फ करने चाहिए।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی "مدھیہ پردیس": مہودے سب سے پہلے میں سرلاجی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے گھریلو تشدد جیسے اہم موضوع پرپارلیمنٹ میں پیش کیاہے- میرا خیال ہے کہ یہ نہایت ہی سنجیدہ موضوع ہے اوراس کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں سماج میں پھیلی ہوئی ہیں- عام خیال یہ ہے کہ گھریلوتشدد کے واقعات انہی ملکوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو ترقی یافتہ نہیں ہیں- ایک اورغلط فہمی یہ بھی ہے کہ گھریلو تشدد کے واقعات کم پڑھے لکھے طبقہ میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے- گھریلو تشدد ایک عالمگیرمسئلہ ہے اور دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں بھی گھریلو تشدد کے واقعات عام طور پر سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں-

مہودے ، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی 40لاکھ عورتیں کسی نہ کسی قسم کے گھریلو تشدد یعنی Domestic violenceکا شکار ہیں- عالمی اعدادوشمار کے مطابق اوسطا کم سے کم تین میں سے ایک عورت کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں قریبی رشتوں میں Domestic violenceکا سامنا کرنا پڑتا ہے- یہ اوسطا ترقی یافتہ صنعتی ممالک میں کئے گئے جائزوں پر مبنی ہے- تاہم ہندوستان میں گھریلو تشدد کے پھیلاؤ پر اعدادوشماربہت ہی کم دستیاب ہیں- لیکن اس موضوع پر ہندوستان میں جو چند مطالعے کئے گئے ہیں ان کے مطابق ہندوستانی عورتوں پر جسمانی تشدد کی شرح کافی اونچی پائی جاتی ہے-

صدر محترم، جہاں تک ترقی یافتہ ممالک اور بالخصوص یوروپین ممالک کا تعلق ہے وہاں گھریلو تشدد کی شکار عورتوں کے لئے سماج میں بیداری اچھے ڈھنگ سے پائی جاتی ہے اور انکی مدد کے لئے طرح طرح کی خدمات بھی دستیاب ہیں- مغربی ممالک میں بہت سی تنظیمیں، آرگنائزیشن اور بہت سی ایجنسیاں ہیں جو خصوصی طور پرDomestic violenceکی شکار خواتین کی مدد کے لئے اپنے آپ کو وقف کئے ہوئے ہیں- لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے یہاں اول تو ایسی تنظیموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جوچند ایجنسیاں اور آرگنائزیشنس ہیں تو عمومی طورپر Domestic violenceکی شکارعورتوں تک ان کی رسائی کم ہوپاتی ہے- گھریلو تشدد کی شکارعورتوں کی اکثریت کو وائلنس کے نتیجوں میں پہنچنے والے نفسیاتی صدمے اورجسمانی چوٹوں کے لئے کوئی میڈیکل امداد بھی نہیں مل پاتی- ان حالات میں رہنے والی دس میں سے

† [ ] † Transliuration in Urdu Script,

چارعورتیں گھر کی عزت اورشرم کی وجہ سے خاموشی سے یہ ظلم سہتی رہتی ہے-
صدر محترم، سرلا مہیشوری جی کے ذریعہ پرائیویٹ ممبر بل پر پارلیمنٹ میں جو بہت ہی اچھی اور سنجیدہ بحث ہورہی ہے، بار بار ہمارے معززممبران پارلیمنٹ نے حکومت سے یہ مطالبہ کیاہے کہ ایک ایسابل جسے ہم سرکاری بل کہتے ہیں، جو لوک سبھا میں پاس ہوگیا ہے خواتین کے متعلق ان پرتشدداور ظلم روکنے کے متعلق- یہ پرائیویٹ ممبر بل جن سجھاؤ کاحامل ہے وہ سجھاؤ یقینا ایسے ہیں کہ سرکاری بل میں اسے مضبوطی کے ساتھ گورنمنٹ کولینا چاہئے تاکہ عورتوں پرہونے والے ظلم اورستم کاخاتمہ یقینی بنایا جاسکے- صدر صاحب-جس فکر مندی کا اظہار اس ہاؤس میں کیا گیاہے اور جس تشویش سے ممبران پارلیمنٹ نے حکومت کواورپارلیمنٹ کے ذریعہ ملک کوآگاہ کیاہے- یقینا عورت کے ساتھ پڑھے لکھے سماج میں عقل اور علم رکھنے والے سماج میں اس طرح کاظلم ہونا ایسے سماج کوکہیں سے بھی انسانیت کے دائرہ میں نہیں لا سکتا- ہم نے جانوروں کی نفسیاتی زندگی بھی دیکھی ہے، جنگلوں میں رہنے اور پلنے والے جانور اپنے جوڑے کے ساتھ جس پیار اور محبت کافطری اظہار کرتے ہیں،خاموش رہنے والے جانور، بے زبان جانور، بے علم جانور، بے عقل جانور، وہ بھی اس عقل رکھنے والے انسان کو،ایک علم رکھنے والے انسان کو، فکروفہم رکھنے والے انسان کو خاموشی سے مسیج دیتے ہیں، ایک پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے جوڑے تباہی کے لئے نہیں ہیں، آبادی کے لئے ہیں- ہماری عورتیں برباد کرنے کے لئے نہیں ہیں،انکے ذریعہ نسلوں کو آباد کرنے کا قدرت نے تمہیں موقع دیاہے- جس حسین بہتراور قدرت کے ان نظاروں سے بھرپورموقع کو گنوادینا قدرت کی بھرپورناشکری کی علامت ہے-اسلئے جب ہم عورتوں پر تشدد کے واقعات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو درد مند انسان کا دل بھرآتا ہے- مگر اسی طرح سے ہمارا سماج ان تمام سب چیزوں کی ان دیکھی کردیتا ہے جس طرح سے ایک جنازہ سماج سے اٹھتا ہے، شمشان یاقبرستان کی طرف جاتاہے اس طرف سماج کودیکھتے ہی بنتاہے- سماج کے اچھے حضرات بھی اس جنازہ میں شامل ہوتے ہیں جولوگ وہ ارتھی اٹھا کرچلتے ہیں، یا جس کی ارتھی جاتی ہے اسکے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہارکرتے ہیں-ہم نے دیکھا ہے کہ اس موقع پر اچھے اچھے لوگ Sympathyاور چوکڑی بھول جاتے ہیں-لوگ نہایت ہی سنجیدگی کوپیش کرتے ہیں، سنجیدگی اور انسانیت کے دائرہ میں رہ کر اپنے اپنے انجام کے

بارےمیں سوچنے لگتے ہیں-

اپ سبھا ادھیکش "شری سنتوش باگروڈیہ": میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا- سب کی ہی اچھا ہے کہ آج اس کو ختم کر دیا جائے- اگر جلدی ختم کر دیں تو مہربانی ہوگی-

مولانا عبید اللہ خان اعظمی :ٹھیک ہے، میں تو حکم کا پابند ہوں- میں نے یہ سنا تھا کہ 5 بجے تک چلنا ہے اسلئے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا ہوں-

اپ سبھا ادھیکش : منتری جی کو بھی بولنا ہے-

شری بھارتیندو پرکاش سنگھل : آپ نے بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے اوروں کے لئے بھی کچھ چھوڑ دیجئے-

اپ سبھا ادھیکش : آپ کے بعد سنگھل جی کو بولنا ہے پھر منتری بولیں گے-

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : میں سنگھل جی کے لئے تو سگنل ابھی سے دینے کے لئے تیار ہوں- صدر محترم، میں چند باتیں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا آخری سفر جب زندگی کا طے کرتے ہیں تو اسمیں بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں اور ہر برائی ہمارے نگاہ کے سامنے آنے لگتی ہے اور ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ سے ہمارے جیون میں کسی طرح کی خرابی نہ پیدا ہو- لیکن جوں ہی شمشان گھاٹ سے یا قبرستان سے واپس ان نام نہاد زندوں کے ماحول میں آتے ہیں ہمارے دل ودماغ سے ان تمام سچائیوں کا نور بجھہ جاتا ہے- اسلئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کے روپ میں جس لڑکی نے جنم لیا وہ کسی کے بیوی کے روپ میں اس کے گھر گئی، حالانکہ اسی کے پیٹ سے اس کی اپنی بیٹی کا جنم ہوتا ہے- پھر اپنی بیٹی کے جتن کے لیئے اس کی حفاظت کے لئےایک انسان جس طرح سوچتا ہے اسے یہ بھی سوچنا چاہئےکہ میرے گھر میں بیوی کی شکل میں جو عورت آئی ہے وہ بھی کسی نہ کسی کی بیٹی ہے- جس طرح مجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے، جس طرح مجھے اپنی بیٹی کے نفع ونقصان کا دھیان ہے مجھے دوسرے کی بیٹی کا نفع و نقصان اسی طرح سے دھیان میں رکھتے ہوئے، جس حیثیت کا میں ہوں، اس حیثیت سے مجھے اپنی بیوی کو خوش رکھنا چاہئے- جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس ظلم و تشدد کے ازالہ کے لیئے میں چند سجھاؤ دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں-

جدید سماجی تقاضوں کو سمجھنا اور سماج کو اسکے لئے تیار کرنا اسکے لئے قانون میں مناسب ترمیم ضروری ہے- اسکول کالج اور یونیورسیٹیز میں عورتوں کے سلسلے میں نصاب کے اندر ان کا حق کیا ہے اسے بھی شامل کیا جانا چاہئے- خواتین کی تعلیم کو عام کیا جانا چاہئے،عام آدمی کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھانا چاہیئے- پرانی روایتوں کو پھر سے زندہ کرنے کے لئے مہم چلانی چاہئے- سماجی، اخلاقی اور مذہبی اقدار کو از سر نو قائم کرنا چاہئے-منشیات پر، نشے کی چیزوں پراور جہیزپرخصوصیت سے پابندی لگنی چاہئے- ٹی وی پر تشدد کی نت نئی کہانیاں سامنے آتی ہیں اور اس طرح Domestic violence دکھلایا جاتا ہے-Domestic violenceدیکھنے والوں کو بجائے اس کے کہ یہ سبق ملے کہ وہ اس وائلنس سے اپنے کو الگ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ٹریننگ بھی لینے لگتے ہیں- اس لئے ایسی چیزوں کی بھرپورمذمت کرنی چاہئے- عورت بڑی ہی سمجھدار شے کا نام ہے وہ ظلم ہونے کے بعد بھی اس کے اظہار کے لئے سو مرتبہ سوچتی ہے- اپنے گھر کی کی عزت کے لئے، اپنے گھر کی عزت کے لئے،اپنے شوہر کی عزت کے لئے اور خاموشی کے ساتھ اس ظلم کوبرداشت کرتی ہے- ایسی سورت میں ہمارے زندہ سماج کا یہ فرض ہے کہ اس عورت کی اس خاموشی کو اچھے ڈھنگ سے سمجھے-اسلئے کہ اس کا عمومی طور پر یہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ :

"سب کومیری آنکھوں کا مدعا سمجھنا تھا...... میں تو ایک مورت تھی، منہ سے بولتی کیسے"

عورتوں پر ظلم مرد سماج کی طرف سے یقینا بے پناہ ہے- مرد ایک طرف چوری بھی کرتا ہے اور دوسری طرف سینہ زوری پربھی اترآتا ہے- غلط بول کر ایک عورت کوبرا دینے کی بات کرتا ہے- پروین شاکر نے ایسے سماج کی تصویر دلکش انداز میں کھینچی ہے- وہ کہتی ہیں کہ:

"میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی..... وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کردے گا"

ایسے سماج میں ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں پرہونے والے تشدد کونہایت ہی سنجیدگی سے لیں اور اس کے سد باب کے لئے ہرممکن کوشش کریں- میرے کچھ سجھاؤ اور بھی ہیں- میں منتری مہودے سے چاہوں گل کہ وہ اپنے سرکاری بل میں انہیں بھی جگہ دیں تو تشددکوکم کرنے کا ہمیں موقع دستیاب ہوگا- جو قوانین آل ریڈی اس سلسلہ میں موجود ہیں ان کا تجزیہ کیا جائے، انکی خوبیاں اور کمیاں دیکھی جائیں

جو قوانین موجود ہیں ان کو عوام میں عام کیا جائے تاکہ لوگ اس پر عمل بھی کریں اور ان کوسزا کا خوف بھی ہو-جو فیملی اس پر عمل کرتی ہو اس کو اس پرایوارڈ بھی دیا جائے- مائناریٹی کمیٹی مردوں اور عورتوں کی بننی چاہئے اور اگر بنی ہوتو اس کو اور زیادہ اختیارات دئے جائیں اورانتظامیہ کے ذریعہ اسے لاگو کیا جائے- گھریلو تشدد کولوگ اکثر جھگڑا سمجھتے ہیں، اس کو کرائم کے دائرے میں لایا جائے-سال میں ایک دن "ویمنس ڈے" منایا جاتا ہے اسی طرز پر سال میں ایک بار "ہیپی فیملی ڈے" بھی منایا جائے- تاکہ لوگ اسے بھی اچھی فیملی کا راستہ بنا لیں- میرے کچھ اوربھی سجھاؤ ہیں- عورتیں مظلوم مانی جاتی ہیں مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ عورتیں اس کا غلط فائدہ اٹھاکر کہیں مردوں کو تشدد کا شکار نہ بنائیں- عورت ضرور اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اس کی تعلیم کا سرکاری طور پر، سماجک طور پر اور معاشی طور پر بھرپور انتظام کیا جائے-سرکار کوئی ایسا آنکڑا پیش کرے کہ سالانہ طور پر عورتوں کو باوقار بنانے کے لئے کتنی کامیابیاں ملی ہیں اور سالانہ کتنا مس یوز ہوا ہے- کوئی ایسا سرکاری فنڈ بنے جو تشدد کا شکار ہونے والی عورتوں کے لئے مددگار ثابت ہو- ساتھ ہی ساتھ اسکولوں میں کالجوں میں Domestic violence کے بارے میں بچوں کو اچھی طرح سے تعلیم یافتہ بنایا جائے- سر- میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح فیملی پلاننگ کے لئے، عوامی جانکاری کے لئے پوسٹر،بینر وغیرہ لگائے جاتے ہیں اسی طرح پبلک پلیسز پر جیسے ہاسپیٹل، مارکیٹ پلیس، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ وغیرہ پر بھی یہ جانکاریاں فراہم کی جائیں- اس کے علاوہ سخت طور پر قانون کا نفاذ ہونا چاہئے اور جو بھی اس کیس میں آتا ہے اسے ہرطرح سے نپٹانا چاہئے-

انہی جملوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں- شکریہ-

"ختم شد

श्री संघ प्रिय गौतम: मजहबी खिताबात के नज़करान तल्फ करने चाहिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : धन्यवाद महोदय, यह जो विषय है, यह बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु कुछ एकांगी है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी हमारे परिवार का जो गठन है, वह है। यहां पर स्त्री और पुरुष के रिश्ते जन्म-जन्मांतर के लिए बनते हैं। यह कोई मामूली रिश्ते नहीं हैं कि आज बने, कल डायवोर्स हो गया और परसों छूट गये। महोदय, हम इस वक्त जो इलाज कर रहे हैं, वह केवल स्त्री का सोचकर कर रहे हैं। हम यह भूल रहे हैं कि जो संतान है, एक टूटे हुए परिवार की, उसका क्या हश्र होगा। मैं पहली चीज तो यह चाहता हूं कि डोमैस्टिक वायलेंस का जो एक्ट बन रहा है, उसमें प्रीवेंशन के भी कुछ प्रोवीजंस होने चाहिए और प्रीवेंशन के लिए मैं इस से अच्छा और कोई दृष्टांत नहीं दे सकता। भोपाल की एक लड़की जयपुर में ब्याही थी। वहां पर एक संत ह्रदाराम है, बहुत जबर्दस्त संत है, बहुत गज़ब के काम उन्होंने किए हैं। मैन ऑफ एक्शन हैं। संत तो है पर सिंधियों में मैन ऑफ एक्शन है। वहां पर उनके एक लैफ्टीनेंट थे, उनकी लड़की जयपुर में ब्याही थी उन्होंने आकर संत जी को बताया कि संत जी, मुझे बड़ा सुख मिला। हमारी पत्नी जयपुर में बेटी के घर गयी थी। उस लड़की की सास बोली कि बहन जी , पहले कोई ऐसा दिन नाग़ा नहीं होता था जब मैं मंदिर नहीं जाती थी किन्तु बेटे की शादी के बाद 3 या 6 महीने बाद मेरा मंदिर जाना ही समाप्त हो गया। लड़की की मां घबराई कि शायद उनकी बेटी से कोई गलती हो गयी। किन्तु उसकी सास बोली कि मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे घर में ही देवी है तो मैं मंदिर जा कर क्या करती हूं। फिर संत जी ने उनसे कहा कि आप ने जिस प्रकार के संस्कार अपनी बच्ची को शुरू से दिये हैं, उसका आप एक कोर्स बना दीजिए। वह कोर्स कॉन्टेंट बनाया गया, जो एक गृहिणी के लिए बनाया गया जो घर छोड़कर जाती है, वहां सब अजनबी हैं, देवर भी होगा, जेठ भी होगा, तीस-तीस साल पुराने नौकर भी होंगे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करे। जेठ के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, दादाजी के साथ किस प्रकार का व्यवहार उनका मन जीतने के लिए करे। इस प्रकार का एक कोर्स बनाया गया। नतीजा यह हुआ कि वहां एन.आर. आईज़ जो आते हैं, वह कहते हैं कि एक माला के साथ आप अपने यहां की कोर्स की हुई बेटी दे दीजिए। करोड़पति लोग आते हैं और केवलमात्र एक माला के साथ बेटी को ले जाते हैं। मैं यह महसूस कर रहा था कि यह कोर्स केवल लड़कियों का क्यों हो? यह कोर्स लड़कों का भी होना चाहिए। यह प्रैक्टीकल है कि आप किसी लड़की को लाते हो तो वह पीछे अपना एक रिश्ता काटकर आती है। जब आप होस्टल जाते थे तो आपके सब रिश्ते टूट गये, आप नये वातावरण में आए तो आपने किस प्रकार से ऐडजस्ट किया? आप इसे उस दृष्टि से देखो और इस प्रकार एक कोर्स बनाया जा सकता है। इसलिए प्रीवेंशन के लिए एक प्रकार का प्री मैरिज कोर्स बनाना चाहिए. एक तो मैं इस बिंदु पर कहना चाहता था। दूसरा, परिवार में अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर हमारे देश की जो संस्कृति हैं, उसका तो नाश ही हो जाएगा। परिवार में प्यार, संवेदनशीलता, धैर्य और सबसे बड़ी चीज़ क्षमा, ये अगर हम अपने संस्कारों में नहीं लाएं तो हम परिवार नहीं चला सकते। हर व्यक्ति दूसरे में आदर्श ढूंढता है और उसमें ज़रा भी कमी हो तो वह तुनक जाएगा लेकिन अपने में क्या है, वह भी तो देखे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि काउंसेल का जो प्रावधान रखा गया हैं, मैं

इससे बिलकुल इत्तिफाक नहीं करता हूं। जो टूटे हुए पति- पत्नी हैं, वे अपने परिवार में से या दोस्तों में जो अभिन्न मित्र हैं, उनमें से एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करें। घर का मामला बाहर नहीं जाना चाहिए वरना वह बिल्कुल प्वाइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाता है। इसलिए यह मेरा दूसरा सुझाव है कि काउंसेल कोई बाहर का या सरकारी नौकर नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ यह थी...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : बस अब खत्म कीजिए।**श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल :** बस चार ही प्वाइंट्स थे मेरे, अब खत्म ही कर रहा हूं। जो डोमेस्टिक वॉयलेंस है, उसमें माननीय नारीमन जी ने कहा कि उसमें यू.एन. की डेफिनेशन काफी है। मैं समझता हूं कि एक बात जो मेरी जानकारी में आई मेरी पुलिस की नौकरी के समय वह बहुत ही भयंकर है। हसबैंड चला जाता है काम पर और बच्चे नहीं हैं घर में क्योंकि नई-नई शादी हुई है और फादर इन लॉ रिटायर होकर बैठा है। ऐसे दो-तीन केस मेरे सामने आए जहां फादर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ के साथ बलात्कार किया और उस लड़की की स्थिति यह थी कि वह अपने हस्बैंड से इस बात की शिकायत नहीं कर सकती। तो इस आस्पेक्ट को भी आप निगाह में रखें और इस वॉयलेंस को भी डेफिनेशन में इनक्लूड करें। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रीमती) रीता वर्मा: धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मैं माननीय सदस्या श्रीमती सरला माहेश्वरी जी का ह्रदय से आभारी हूं कि उन्होंने अपने इस प्राइवेट मैमबर्स बिल घरेलू हिंसा से निवारण विध्यक, 2001 के माध्यम से महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर करने में गहरी रुचि दिखाई और मैं पूरे सदन का आभार वयक्त करती हूं कि उसने महिलाओं के मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाई और समाज में जो ज्यादातर हिंसा की शिकार बनती हैं, अपने घरों की चारदीवारी के अंदर भी और बाहर भी, उनके प्रति, उनकी पीड़ा के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाई। मैं इसके लिए पूरे सदन की ह्रदय से आभारी हूं और आप सबकी भावनाओं के साथ मैं अपने आप को जुड़ा हुआ पाती हूं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** पीठासीन हुए]

दो-तीन बातें मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहती हूं। श्रीमती सरला माहेश्वरी जी के विधेयक और सरकारी विधेयक की विषय वस्तु और आशय में कोई बहुत फर्क नहीं है। जो कुछ भी फर्क है, वह बहुत ही मामूली सा फर्क है और वह अप्रोच का फर्क है। कंटेट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दो-तीन बाते उन्होंने कही थी जिसको अभी नारीमन जी ने भी रिपीट किया कि वॉयलेंस की जो डेफिनेशन है, घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है, वह

यू.एन. की जो परिभाषा है, वही उसकी भी परिभाषा है। सरकार का यह मानना है कि जो हमारे इस बिल की टर्मिनॉलॉजी है, यू.एन. में जो टर्म यूज़ किया गया है, वह है constitutes suffering to women" **और हमने अपने बिल में कहा है**

"Any conduct shall constitute domestic violence if the respondent habitually assaults or makes the life of the aggrieved person serable
मुझे नही लगता कि दोनों के सिंटैक्स में कोई ज्यादा फर्क है। इस तरह के कई वॉयलेंस हैं, यह जरूरी नहीं है कि वह फिजिकल हो, वह मेंटल हो सकता है, व सेक्सुअल हो सकता है, वह इकामॉमिक हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंटेंट में कोई बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा रिजिडली कोडिफाई करने से तो और किसी का भला हो या न हो लेकिन वकीलों का ज़रूर भला होता है क्योंकि उनको कोर्टस में एकसप्लेन करने के काफी रास्ते मिलते हैं। और फिर क्राइम का भी रूप बदलता चला जाता है, मैंटल टार्चर का भी रूप बदलता जाता है। आज से दस साल पहले शायद हम साइबर क्राइम की परिकल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए इसको बहुत डिजिटली डिफाइन करने से हो सकता है कि आगे कुछ इस तरह के क्राइम्स का भी कुछ पैटर्न निकले, जो अभी हमारी कल्पना में न हों। फिर भी हम इस मामले में सदस्यों के सुझावों का मुक्त मन से स्वागत करते हैं। हमने तो बिल को स्टेंडिंग कमेटी में भेज दिया है और हम आग्रह करते हैं कि सभी अपने-अपने सुझाव स्टेंडिंग कमेंटी को भेजें। स्टेंडिंग कमेंटी भी अब अपनी फाईनल स्टेज में है। जिस तरह से वे अपने यहां से बिल को परिभाषित करके भेजेंगे, हम उस पर खुले मन से विचार करेंगे। हमारा कोई भी रेजिड स्टेंड नहीं है और हमने कोई भी ईगो फैशन से जोड़ा नहीं। ...(व्यवधान)... देखिए आपने मुझे बोलने के लिए बहुत कम समय दिया है।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी : आपने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप यह फरमा रही हैं कि आप लोग अपने-अपने सुझाव भेज दें तो क्या कुछ वक्त मिलेगा सुझाव भेजने के लिए।

डा.(श्रीमती) रीता वर्मा: बहुत वक्त मिला है, अब आप चूक गए हैं साहब।...

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी : आज आप कह रही हैं कि सुझाव भेज दें। ...(**व्यवधान**)...

डा.(श्रीमती) रीता वर्मा: यह बहुत दिनों से सबको कहा गया है कि स्टेंडिंग कमेटी में

भेज दें और बहुत लोग वहां जाकर अपने-अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। मैं आपसे कहूंगी कि साहब आप इसमें अब तो चूक गए हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि शायद अब तो रिपोर्ट आने वाली है। यह मेरा मामला नहीं है, यह स्टेंडिंग कमेंटी का मामला है। लेकिन जहां तक आपकी भावना हैं, जब यह सरकारी विधेयक सदन में डिसकसन के लिए आएगा तो निश्चित रूप से आप उस समय अपने सुझाव दे सकते हैं और उन पर हम लोग फिर से विचार कर सकते हैं। इसलिए एक तो उनकी रिजर्वेशन की बात थी, दूसरी बात जो नारीमन साहब ने और कही है कि एथिक मेट्रीमोनियल फोरम की जो परिकल्पना है, यह सही बात है कि पति की अकाल मृत्यु के बाद स्त्री का यदि परिभाषित न हो कि उसकी समपत्ति में क्या उसका हक है तो उसको बड़ी परेशानी होती है। केन्द्र सरकार का इसमें शुरू से ही सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एटिट्यूड रहा है। मैं यह भी कहूंगी कि हमारे से पहले जो सरकारें थी सभी का यह एटिट्यूड रहा है कि महिलाओं को उत्पादक परिसम्पत्तियों तथा हर तरह की परिसम्पत्तियों में उनको सहस्वामी बनाया जाना चाहिए और इस अनुशंसा को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सरकारी भूमि तथा आवासीय स्थलों का आबंटन सदैव पति-पत्नी के संयुक्त नाम से या किसी-किसी सिटी में जहां महिला परिवारकी प्रमुख होती है उसके नाम से, अनुसूचित जाति व अनूसूचित जनजाति की महिलाओं और विशेषकर विधवाओं, अविवाहितों या उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के नाम से किया जाए। यह हमेशा केन्द्र सरकार की अनुशंसा रही है। इसके साथ-साथ उपरोक्त श्रेणी की कम से कम 40 परसेंट सम्पत्ति के पट्टे महिला सदस्यों को दिए जाए। मानव संसाधन विकास मंत्री सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों को और संघ राज्यो के प्रशासकों को पत्र लिखते रहे हैं इसके इम्पलीमेंटेशन के लिए और उनसे यह अनुरोध करते रहे हैं कि वे क्षेत्रीय स्तरों पर इसकी समीक्षा करते रहे हैं, क्षत्रीय स्तरों पर इसकी समीक्षा करें कि इनका कार्यान्वयन किस तरह हो रहा है। मैं यह भी कहूं कि बहुत सारे राज्य हैं जिनका बड़ा ही सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। बहुत सराहनीय उनका रवैया रहा है लेकिन सभी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस तरह केन्द्र सरकार का इस विषय में पॉजिटिव एप्रोच है, बहुत ही सकारत्मक उनका रवैया है। इसके अनुपालन के लिए हम कदम उठा रहे हैं। यह जो विधेयक हैं यह एक सीमित अर्थ में घरों के अंदर जो वायलेंस होता है, उसके बारे में हैं। यह सही बात है कि इन वायलेंस के समय, हमारी जो इंडियन पीनल कोड है उसमें इसका कानूनी उपचार है, 498-ए में कानूनी उपचार है। लकिन सिविल कानून के अंतर्गत इसका कोई कानूनी उपचार है, तलाक को छोड़ कर के। लेकिन हर स्थिति में महिला तलाक नहीं चाहती है और हर छोटी बड़ी हिंसा पर, हर छोटे बड़े झगड़े पर तलाक होना अनिवार्य भी नहीं है। सरकार ने इस बात को महसूस किया कि तलाक के अलावा भी इसका संतोषजनक समाधान ढूंढा जाना चाहिए। हमारे मानव संसाधन केन्द्रीय मंत्री, डॉ जोशी ने 8.5.2002 में लोक सभा में महिलाओं

को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तलाक के अलावा भी महिलाओं की समस्या का निवारण करने के लिए एक सिविल कानून लाया जाए। इसके अलावा अभी बहुत सारे भावनात्मक वक्तव्य हुए हैं। मैं उनकी दृष्टि से अपने आप को जुड़ा हुआ पाती हूं। उनकी सराहना करती हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूं कि क्या यह उचित है कि हर घर के अंदर पुलिस तैनात कर दी जाए और हर छोटी-बड़ी बात के लिए पुलिस के पास दौड़ा जाए? क्या यह संभव है और क्या यह वांछनीय है? मैं मानती हूं कि अत्याचार हो रहा है। मैं सरोज जी की बात सुन रही थी सदियों से हमारी कुछ कंडीशन ही ऐसी हो गई है। सबको सबजी खिलाने के बाद महिला सूखे अचार के साथ रोटी खा लेती है। इसके लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है। यह एक मेंटल कंडीशन हो गई है। इसके लिए आप और हम मिलकर समाज को सकारात्मक ढंग से परिवर्तित करने की कोशिश करें। हम अपनी बच्चियों को ऐसा न करना सिखाएं। हम अपनी बच्चियों को इस तरह के अन्याय का विरोध करना सिखाएं। अपनी बहुओं को भी यह अधिकार दें तभी यह हो सकता है। सरकार हर घर में घुसकर न तो इनका सुपरविजन कर सकती है और न ही उसे ऐसा करना चाहिए। इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जहां तक वूमेन्स हैल्पलाइन की बात कही गई, सरोज जी ने कही, तो यह बताते हुए, सूचना देते हुए मुझे खुशी हो रही है डिपार्टमेंट ने इस विषय पर एक स्कीम शुरू की है। अभी तक बावन शहरों में हमने इस तरह का प्रयोग शुरू किया है। जाहिर है कि ये सभी बड़े शहर हैं। इसमें अभी काफी लोजिस्टिकल अरेन्जमेंट्स चाहिए जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आई.टी. एंड कम्यूनिकेशन्स के साथ तालमेल बिठाकर हम यह प्रयोग शुरू कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रोयोग काफी सफल और सार्थक रहेगा। दूसरी बात, शायद बागड़ोदिया जी ने सैक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेसस के बारे में कही। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशद् और विस्तृत जजमेंट दे दिया है। डिटेल गाइडलाइन्स भी दी है कि अगर वर्क प्लैस में सैक्सुअल हैरासमेंट हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये गाइडलाइन्स किस तरह से कॉम्पलाई की जाएं, हम इसकी रूपरेखा बना रहे हैं। नेशनल कमीशन फार वूमेंन एक बिल भी ड्राफ्ट कर रहा है। वर्क प्लेसस पर जो सैक्सुअल हैरासमेंट होती है, उस विषय पर वह बिल केन्द्रित होगा। यह बिल अभी तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण बातें थीं, वे यही थीं। इस मामले में जो माननीय सदस्या हैं और जो सरकार का बिल है, उन दोनों में कोई खास फर्क है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जब हम यह कह रहे हैं, हम कैटेगरीकली यह कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)... अभी तो पांच मिनट बाकी हैं, आप सब लोग इतना बोले हैं, मुझे भी तो बोलने दो ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए, टोका-टाकी बंद कीजिए।

श्रीमती सरोज दुबेः प्रोटेक्शन आफिसर के साथ महिला संगठनों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह मनमानी न कर सकें, इस पर विचार करना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए, कन्क्लुड करने दीजिए।

डा.(श्रीमती) रीता वर्मा : देखिए, अभी बिल विस्तृत रूप में आएगा। प्रोटेक्शन आफीसर पुरूष होगा, ऐसा आप क्यों मानती हैं। वह महिला भी हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : इसमे महिला होनी चाहिए

डा.(श्रीमती) रीता वर्मा: हां महिला होनी चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा है कि वह पुरुष होगा। जब विस्तृत रूप में बिल आएगा तब पूरा सदन उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगा। हम आपसे कह ही रहे हैं कि सैण्डिंग कमेटी से उस बिल को आने दीजिए। उस में आप सब लोगों ने सुझाव दिए हैं। बहुत से एन.जी.ओज. ने सुझाव दिए हैं। बहुत से महिला संगठनों ने भी सुझाव दिए हैं। हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके अनुरूप इस बिल पर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। जब बिल दोबारा पास होने के लिए सदन में आएगा तब आप सब भी अपने विचार देंगे। मैं नहीं समझती कि इस बिल को प्रेस करने की जरूरत है। मैं सदन से निवेदन करूंगी कि इस बिल को रिकाल करे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Since the Mover, Shrimati Sarla Maheshwari, is not present to reply to the debate on her Bill, I will put the motion for consideration of the Bill to vote. We have such precedents in the past. For example, on 12th August, 1994, and, again, on 19th May, 1995, when the movers were not present in the House, the Bills were put to vote and they were negatived. So, I now put the motion for consideration of the Bill to vote.

The question is:—

> "That the Bill to provide for preventing the growing menace of domestic violence and in particular, to empower the courts to grant protection orders to victims of such violence and matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration".

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Hon. Members, we now take up the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (insertion of new article 21 A). Shri Santosh Bagrodia.

The Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Insertion of New Article 21A)

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I move:—

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration".

Sir, for a human being, privacy is very important factor. Today, what is happening is that, whoever is the authority, just gets into your house thinking that they can take advantage of a particular clause of a Bill. It is so unfortunate that on flimsy grounds, on mere assumptions, they get into your houses; not only your houses, but the houses of your relations, distant relations, distant friends. I also know that in some cases, these authorities have entered our multi-storeyed building, going into every flat of the multi-storeyed building. Now, that is not privacy. After all, the dignity of an individual should be respected. We are in a society where freedom is very important. And If my privacy is hampered, if my privacy is questioned, then it becomes a *police raj.* It would mean as if we are in a situation where the entire country is made of scoundrels. And it is only the officers, only the bureaucrats, only a small number of intelligence officers or other officers in different departments, economic or other departments, who are most honest, who are absolutely above board. This is not fair. This has to be looked into by the Government very seriously to see how we can protect the dignity of an ordinary citizen. I know a number of people, a number of officers just getting into somebody's house, saying that they have got the right, that they will bring out some paper, etc. It has been noticed that, sometimes they sign the warrant on the spot, and when they enter, they donl allow the people to take the help of the lawyers. An ordinary citizen is not supposed to be an expert lawyer; he is not an expert on law matters. He is told "No, sorry", because that is the only way you can threaten him.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : बागड़ोदिया जी, आप अपने इस विधि विधेयक पर जो चर्चा है उसको 5 दिसम्बर, 2002 को जारी रख सकते हैं।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार, 25 नवम्बर, 2002 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थागित की जाती है।

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 25th November, 2002.

MGIPMRND—7087RS—3.11.2003.